डाक व्यय की पूर्व-अदायगी के
डिवीजन
बिना डाक द्वारा भेजे जाने के
लिये अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. भोपाल-505/डब्ल्यू.पी.

पंजी. क्रमांक भोपाल
122 (एम. पी.)

मध्यप्रदश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमाक 230 , भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 सितम्बर 1978- आश्विन 7, शके 1900

लोक स्वास्थय एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 1978

क्र. 3311-5918-सत्रह-मेडि. 4. -फार्मेसी एक्ट. 1948 (क्रमांक 8 सन् 1948) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त ६ाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य ६ाासन एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

पहला अध्याय-प्रारंभिक

1. ये नियम मध्यप्रदे६ा फार्मेसी औषध निमार्ण ६ााला परिषद् नियम, 1978 कहलायेंगे.

2. इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित नही:-

(क) "अधिनियम" से तात्पर्य फार्मेसी एक्ट, 1948 (क्रमांक 8 सन् 1948) से है ;

(ख) "धारा" से तात्पर्य अधिनियम की धारा से है ;

(ग) "परिषद्" से तात्पर्य

(घ) "प्रारूप" में अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्रारूप;

(ङ) "रजिस्ट्रार"से अभिप्रेत है धारा 26 के अधीन परिषद् द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार ;

(च) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है परिषद् का अध्यक्ष से है;

(छ) "उपाध्यक्ष" से अभिप्रेत है परिषद् का उपाध्यक्ष;

3. परिषद् का मुख्यालय भोपाल में रहेगा.

दूसरा अध्याय

4. संपति.- परिषद् की संपत्ति में जंगम तथा स्थावर सम्पत्ति सम्मिलित है. इसमें अधिनियम की धारा 32 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के

5. रजिस्ट्रार परिषद् की समस्त सम्पत्तियों के उचित अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी होगा. वह समस्त जंगम तथा स्थावर सम्पत्तियों का एक स्टाक रजिस्टर रखेगा.

6. रजिस्ट्रार के पास 200 रूपयों का स्थायी अग्रिम रहेगा. स्टेट बैंक आफ इंडिया, भोपाल में परिषद् के नाम पर एक खाता खोला जाएगा और परिषद् का समस्त धन उस खाते में जमा किया जायेगा.

7. रजिस्ट्रार प्राप्त रकमों को जमा करेगा और उनके लिए प्रारूप एक में रसीद देगा.

8. रकम, अध्यक्ष और रजिस्ट्रार के संयुक्त हस्ताक्षर से निकासी जा सकेगी.

9. स्टेट बैंक आफ इंडिया, भोपाल के नाम के समस्त बैंको पर, रजिस्ट्रार द्वारा परिषद् के कोषपाल के रूप में हस्ताक्षर किए जायेगें.

10. रजिस्ट्रार, परिषद् द्वारा प्राप्त या व्यय की गई समस्त रा६ायों को तत्काल सामान्य रोकड़ बही में दर्ज करेगा.

11. परिषद् के लेखाओं प्रतिवर्ष संपरीक्षा संचालक, स्थानीय निधि लेखा, मध्यप्रदे६ा द्वारा की जाएगी.

12. प्रतिवर्ष जुलाई महीने में रजिस्ट्रार, अध्यक्ष के निर्दे६ाों के अधीन 31 मार्च को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ती वर्ष के आय तथा व्यय का एक विवरण तैयार करेगा और उससे संबंधित ऐसे विषयों की ओर जिन्हें वह आव६यक समझे, परिषद् का ध्यान आकर्षित करेगा.

13. रजिस्ट्रार:-

(एक) रूपयें 50 से अनधिक ;

(दो) अध्यक्ष के पूर्व अनमोदन से रूपयें 500 से अनधिक;

और (तीन)राज्य ६ाासन के पूर्व अनुमोदन से रूपये 500 से अधिक का व्यय कर सकेगा.

14. धन के दावे के रूप में प्रस्तुत किसी बिल या उनके प्रमाण को (वाउचरों) की, रजिस्ट्रार द्वारा जांच की जाएगी और भुगतान किया जायगा. किन्तु यदि दावा 50 रूपये से अधिक का हो, तो उसका भुगतान तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि अध्यक्ष द्वारा उसकी जांच न कर ली गई हो ओर उसे पारित न किया गया हो.

15. प्रत्येक बिल पर, जब उसका भुगतान कर दिया जाए, निम्नलिखित रीति से पृष्ठाकंन न किया जाएगा:-

प्रमाणक (वाउचर) क्रमांक.....

भुगतान की तारीखा.....

16. आगामी वित्तीय वर्ष के लिए परिषद् के आय तथा व्यय का एक अनुमान, प्रति वर्ष सितम्बर माह में तैयार किया जाएगा और उसे परिषद् की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा. ऐसे अनुमानों में शासन से प्राप्त पूर्वानुमानिति अनुदान और रजिस्ट्रीकरण तथा अन्य रवो से प्राप्त आय शामिल होगी.

17. परिषद् इन अनुमानों पर विचार करेगी और उन्हें या तो अपरिवर्तित रूपा से या ऐसे परिवर्तन, जो वह उचित समझें के अध्यधीन मंजूर करेगी.

18. परिषद् द्वारा ऐसा कोई भी व्यय नहीं किया जाएगा जिसके लिए बजट में या अनुपूरक बजट अनुमान में व्यवस्था न की गई हो.

तीसरा अध्याय-सदस्यों का निर्वाचन

धारा 19 के खण्ड (क) के अधीन,

19. रजिस्ट्रार धारा 19 के खण्ड (क) के अधीन सदस्यों के निर्वाचन के प्रायोजन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करेगा.

20. रिटनिंग आफिसर प्रथम निर्वाचन के मामले में किसी भी समय और किसी पश्चात्वर्ती निर्वाचन के मामले में उस दिन के कम से कम साठ दिन पहले, जिस दिन राज्य परिषद् का या धारा 19 के खण्ड (क) के अधीन निर्वाचित किसी भी सदस्य या किन्हीं भी सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है तथा सुविधा पूर्वक यथाशीघ्र किन्तु कोई भी आकस्मिक रिक्ति होने के बाद दो महीने के भीतर राजपत्र में प्रारूप दो में अधिसूचना जारी करके निर्वाचकों की धारा 19 के खण्ड (ख) के अधीन किसी सदस्य या सदस्यों का चुनाव करने के लिए कहेगा, और

(क) उम्मीद्वारों के नाम निर्देशन की अन्तिम तारीख के रूप में ऐसी कोई तारीख, जो अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रहवें दिन के बाद की न हो, नियत करेगा;

(ख) नाम निर्देशनों की सूक्ष्म जांच की तारीख के रूप में ऐसी कोई तारीख जो नाम निर्देशन के लिए नियत तारीख से तीसरे दिन के बाद की न हों, नियत करेगा;

(ग) ऐसी कोई अगली तारीख, जो सूक्ष्म जांच के लिए नियत तारीख के वयालीस दिन के बाद की न हो जिसको मतदान, यदि किया जाए तो समाप्त होगा और मतों की गणना के लिए अगली तारीख तक वह समय और स्थान, जब तथा जहां मत गणना की जाएगी, नियत करेगा.

21. नियम 20 के उप-नियम 1 के अधीन अधिसूचना की प्रतियां राज्य परिषद् के कार्यालय में किसी सहज दृश्य स्थान में चिपकाई जाएगी और राज्य में मुद्रित तथा प्रकाशित किन्ही दो या अधिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी.

22. कोई भी व्यक्ति, जो निर्वाचक हो, धारा 19 के खण्ड (क) के अधीन किसी स्थान (सीट) को भरने के लिए निर्वाचन के लिए उम्मीद्वार के रूप में नामंनिर्दिष्ट किया जा सकेगा.

23. नियम 20 के उप नियम (एक) के खण्ड (क) के अधीन उम्मीद्वारों के नाम-निर्देशन के लिए नियत अन्तिम तारीख की या उसके पहले प्रत्येक उम्मीद्वार या तो व्यक्तिगत रूप से या संदेशवाहक द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्रारूप तीन में एक नाम निर्देशन पत्र पूरा भरकर मुहरबन्द लिफाफे में रिटर्रिग आफिसर को देगा जिस पर नाम निर्देशन की सहमति स्वरूप स्वयं उम्मीद्वार के और प्रस्तावक तथा अनुमोदन के रूप में दो निर्वाचको के हस्ताक्षर होगें.

(2) कोई भी निर्वाचक उतने उम्मीद्वारों से अधिक उम्मीद्वारों के नाम का प्रस्ताव या अनुमोदन नहीं करेगा, जितने स्थान (सीट) भरे जाने हैं.

24. यदि एक ही निर्वाचक द्वारा विहित संख्या से अधिक उम्मीद्वारों के नाम निर्दे६ान प्रस्तावक या अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षरित हो, तो रिटर्निग आफिसर को सिलसिलेवार प्राप्त विहित संख्या के नाम निर्दे६ान पत्र वैध माने जायेगे व६ार्ते कि वे अन्यथा रूप से व्यवस्थित हो, और शेष नामांकन पत्र रद्द कर दिए जायेंगे.

25. कोई भी नाम निर्देशन पत्र, जो रिटर्निग आफिसर को, नामनिर्देशन के लिए नियत अन्तिम तारीख को अपरान्ह 3 बजे तक प्राप्त हो, रद्द कर दिया जायेगा.

26. कोई नामनिर्देशन पत्र प्राप्त होने पर रिटर्निग आफिसर उस पर तत्काल अनुक्रमांक और उसके प्रापत होने की तारीख और समय पृष्ठांकित करेगा और उस पर अपने हसताक्षर करेगा.

27. प्रत्येक उम्मीदवार अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ रिटर्निग आफिसर को विशेष के रूप में 50 रूपये की राशि नगद देकर या वह राशि जमा करवायेगा या ऐसी राशि रिटर्निग आफिसर को मनीआर्डर द्वारा या बीमाकृत रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजेगा और किसी भी उम्मीदवार को तब तक सभ्यक रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक कि ऐसी राशि नाम निर्देशन के लिए नियत अन्ति तारीख को अपरान्ह 3 बजे तक उसकी ओर से निक्षेप के रूप में प्राप्त न हो गई हो.

28 (1) यदि कोई उम्मीदवार, जिसके या जिसकी और से नियम 27 में विनिर्दिष्ट निक्षेप किया गया हो, इस मामले में और नियम 32 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेना है या यदि ऐसे किसी उम्मीदवार का नाम - निर्देशन रध कर दिया जाता है तो निक्षेप उस व्यक्ति की लौटा दिया जाता है जिसके द्वारा वह जमा कराया गया था और यदि मतदान प्रारंभ होने के पहले किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए तो ऐसा निक्षेप यदि उसके द्वारा कराया गया हो, उसके वैध प्रतिनिधि को लौटा दियाजाएगा या यदि ऐसा निक्षेप उम्मीदवार की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जमा कराया गया हो तो वह उस व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा जिसने रकम जमा करायी थी.

(2) यदि कोई उम्मीदवार जिसके द्वारा या जिसकी ओर से नियम 27 में विनिर्दिष्ट निक्षेप जमा किया गया हो, निर्वाचित नहीं होता है और उसकी प्राप्त मतों की संख्या, डाले गए कुल मतों की संख्या के एक बटा आठ से अधिक नहीं है तो निक्षेप राज्य परिषद् को समपहूत हो जाएगा.

स्पष्टीकरण- उप नियम-2 के प्रयोजनों के लिए डालेगए मतों की कुल संख्या से तात्पर्य रधकिए गए मत-पत्रों को छोड़, गणना किए गए मत-पत्रों की कुल संख्या से है.

(3) किसी ऐसे उम्मीदवार के विषय में, जो निर्वाचित हो गया हो, जमा की रकम और साथ ही उस उम्मीदवार के विषय में जमा की गई रकम, जो निर्वाचित न हुआ हो और जिसकी जमा रकम उप-नियम (2) के अधीन समपहृत न हुई हो, राजपत्र में निर्वाचन का परिणाम प्रकाशित होने के बाद यथा संभव शीघ्र उस व्यक्ति को लोटा दी जायगी, जिसके द्वारा वह जमा करायी गई थी.

29. (1) उस तारीख की ओर उस समय, जो नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिए नियत किया गया हो, प्रत्येक उम्मीदवार और या तो उसका प्रस्तावक या अनुमोदक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, किन्तु कोई अन्य व्यक्ति नहीं, रिटर्निग आफिसर के कार्यालय में उपस्थित हो सकेगा, जो उनकी समस्त उम्मीदवारों के नाम-निर्देशन पत्रों-की जो उसे उुपर बताये अनुसार प्राप्त हुए हों, जांच करने की अनुमति देगा.

(2) रिटर्निग आफिसर नाम निर्देशन पत्रों की जांच करगा और या तो कोई आक्षेप किये जाने पर या स्वप्रेरणा से ऐसी संक्षिप्त जांच, यदि कोई हो , के पश्चात जो वह आवश्यक समझे ऐसे समस्त प्रश्नों को विनिश्चित कर सकेगा, जो किसी भी नामनिर्देशन पत्र की विधि मान्यता के संबंध में उठते हैं और ऐसे प्रश्नों के संबंध में उसका निश्चय अंतिम होगा. रिटर्निग आफिसर निम्नलिखित किसी भी आधार पर किसी भी नाम निर्देशन पत्र को नामंजुर कर सकेगा :-

(क) कि निर्वाचन के लिए उम्मीदवार अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपात्र है ;

(ख) कि प्रस्तावक या अनुमोदक उसके सम्यक् रूप से अहे निर्वाचक न होने के कारण नामनिर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अनहे है ;

(ग) कि नामनिर्देशन पत्रों के उपस्थापन के लिए इन नियामों में अधिकथित किसी उपबन्ध का पालन करने में कोई चूक हुई है ;

(घ) कि उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक या अनुमोदक के हस्ताक्षर असली नहीं है या ये हस्ताक्षर कपट पूर्वक प्राप्त किए गए है.

30. नाम निर्देशन पत्रों की जांच करने के बाद रिटर्निग आफिसर ऐसे उम्मीदवारों को, जिनके नामनिर्देशन पत्र व्यस्थित हो, सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट उम्मीदवार घोषित करेगा.

31. रिटर्निग आफिसर सम्यकरूप से नामनिर्दिष्ट उम्मीदवारों की सूची राज्य में मुद्रित और प्रकाशित, कम से कम तीन समाचार पत्रो और राजपत्र में प्रकाशित करायेगा और राज्य परिषद् के कार्यालय के किसी सहज धश्य स्थान में नामनिर्देशन उम्मीदवारों के नामनिर्देशन की सूचना चिपकवाएगा, जिसमें सम्यक् रूप से नामनिर्देशित उम्मीदवारों के नाम विनिर्दिष्ट होंगं और नामनिर्देशन पत्रों में दिए गए व्यौरे अन्तर्विष्ट होंगे.

32. (1) सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट कोई भी उम्मीदवार रिटर्निग आफिसर को अपने हस्ताक्षर से लिखित सूचना देकर और या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसे इस प्रकार भेजकर कि यह मतदान की समाप्ति के लिए नियत दिन के पूर्ववर्ती तीसवें दिन, अपरान्ह तीन बजे से पहले उसके पास पहूच जाए, अपनी उम्मीदवारी वापिस ले सकेगा.

(2) रिटर्निग आफिसर उप नियम 32 (1) के अधीन नाम वापस ले लेने की सूचना प्राप्त होने पर, नाम वापस लेने की सूचना राजपत्र में प्रकाशित कराएगा और राज्य परिषद् के कार्यालय में किसी सहज धश्य स्थान पर भी उसे चिपकवाएगा.

(3) ऐसे उम्मीदवार को, जिसने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली हो, उसी निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के रूप में पुन: नामनिर्दिष्ट किये जाने के लिए अपनी नाम वापसी को रध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

33. (1) यदि नाम वापसी के लिए अनुज्ञात कालावधि के पश्चात् सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट उम्मीदवारों की संख्या, भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से कम हो या उसके बराबर हो, तो रिटर्निग आफिसर तत्काल ऐसे उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित कर देगा और उनके नाम राजपत्र में प्रकाशित करवायेगा.

(2) यदि निर्वाचन के लिए सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट उम्मीदवारों की संख्या, भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक हो, तो रिटर्निग आफिसर तत्काल उनके नाम तथा पते राजपत्र में प्रकाशित कराएगा.

(3) यदि ऐसे उम्मीदवारों की संख्या चुने जानेवाले सदस्यों की संख्या से कम हो, तो ऐसे समस्त उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किये जायेगें और

रिटर्निंग आफिसर 'राजपत्र' में एक सूचना द्वारा निर्वाचकों से निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या के अनुसार रिक्त स्थान या रिक्त स्थानों को भरने के लिऐ ऐसे समय जो इस निमित्त नियत किया जाय, यथास्थिति, सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिये कहेगा:

परन्तु जव निर्वाचक इस उपनियम के अधीन कहे जाने के बाद यथास्थिति किसी एक सदस्य या अपेक्षित संख्या में सदस्यों का निर्वाचन नहीं करते, तो यह मामला राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायगा और निर्वाचकों से उसके बाद, उस समय तक जो राज्य शासन द्वारा उस निमित्त नियत किया जाय, किसी सदस्य या सदस्यों की निर्वाचन करने के लिये नही कहा जायगा.

34. (1) यदि मतदान आवश्यक समझा जाय, तो रिटर्निंग आफिसर मतदान समाप्त होने के लिये नियत तारीख से कम से कम इक्कीस दिन पहले प्रत्येक निर्वाचक की डाक प्रमाण पत्र के अधीन बन्द लिफाफे में प्ररूप चार में, रिटर्निंग आफीसर द्वारा सम्यक् रूप से, हस्ताक्षरित मतपत्र, प्ररूप पांच में एक घोषणा पत्र तथा प्ररूप छः सात, तथा आठ में में तीन लिफाफे, क्रमशः अ,ब, तथा स भेजेगा यदि इन नियमों के अनुसार निर्वाचक को मतपत्र जारी किया गया हो, तो निर्वाचक को मतपत्र प्राप्त न होने के कारण, निर्वाचन अविधिमान्य नही होगा. निर्वाचकों को भेजे गये मतपत्रों के प्रतिपूर्ण एक पैकेट में रखे जायेंगे और पैकेट को तत्काल मोहरबन्द कर दिया जायगा, यह पैकेट निर्वाचन याचिका के प्रायोजन को छोड़ अन्यथा नहीं खोला जायेगा.

(2) ऐसा निर्वाचक, जिसे उस तारीख से जो, प्रत्येक निर्वाचक को मतपत्र भेजने के लिये उपनियम (1) के अधीन नियत की गई हो सात दिन के भीतर उपनियम (1) के अधीन उसे भेजा गया मतपत्र घोषणा पत्र तथा लिफाफे प्राप्त न हुये हों, या जिससे वे गुम हों, या जिसके मामले में मतपत्र घोषणा पत्र या कोई भी लिफाफे उनहें रिटर्निंग आफिसर को वापस लौटाये जाने के पहले असावधानीवश खराब हो गया हों, अपने हस्ताक्षरों से उस आशय की घोषणा करने हुए रिटर्निंग आफिसर से नये कागज-पत्र भेजने के लिये निवेदन करेगा और यदि कागज-पत्र खराब हो गये हों तो वह उस खराब कागज पत्रों को रिटर्निंग आफीसर को वापस लौटा देगा, जो उन्हे प्राप्त होने पर रधकरेगाा. ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें नये कागज-पत्र जारी किये गये हों, पंजीयन की प्रति में, उस निर्वाचक के नाम से संबंधित क्रमांक के सामने या स्पष्ट करने के लिये कि नये कागज पत्र जारी किये गये है, एक सुभेदक चिन्ह लगाया जायेगा.

(3) प्रत्येक निर्वाचक, जो अपना मत देना चाहता है, मतपत्र में विनिर्दिष्ट रीति में, उस पर अपना मत अभिलिखित करने के बाद स्वयं को प्राप्त मतपत्रों को या तो, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा, या डाक प्रमाण पत्र के अधीन रिटर्निंग आफीसर को भेजेगा. मतपत्र प्रत्येक मतदाता द्वारा सीधे रिटर्निंग आफीसर को भेजें जायेंगे. मतदाता द्वारा व्यक्तिगत रूप से सौंपे गये मतपत्रों को विधि मान्य मतपत्र के रूप में स्वीकार किया जायगा और उसके लिये एक रसीद दी जायेगी.

(4) किसी निर्वाचक में मतपत्र का लिफाफा, प्राप्त होने पर, रिटर्निंग आफीसर उस पर प्राप्ति की तारीख और समय पृष्ठाकित करेगा और उसे इस प्रायोंजन के लिये रखी गई तालाबन्द पेटी में रख देगा, मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय के बाद प्राप्त हुआ मतपत्र का लिफाफा एक पृथक् पैटेट में रखा जायेगा और उसे खोला नहीं जायगा,

35. (1) रिटर्निंग आफीसर मतों की गणना के लिये नियत तारीख की और नियत समय तथा स्थान पर उस पेटी को खेलेगा, जिसमें मतपत्रों के लिफाफे हों और ऐसे मतपत्र को अस्वीकार कर देगा,

यदि :--

(क) लिफाफा "स" निर्वाचक द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित नही हो या

(ख) लिफाफा "ब" में पृथक रूप से घोषणा पत्र और लिफाफा "अ" नही है ; या

(ग) घोषणा पत्र वही नहीं है, जो कि रिटर्निंग आफीसर द्वारा निर्वाचक को भेजा गया था ; या

(घ) घोषणा पत्र निर्वाचक द्वारा हस्ताक्षरित न हो ; या

(ड) लिफाफा "अ" सम्यक् रूप से मोहरबन्द न हो.

(2) तत्पश्चात उपनियम (1) के अधीन अस्वीकृत मतपत्र लिफाफों को छोड़कर अन्य समस्त मतपत्र लिफाफे खेले जावेंगे तथा मतपत्र वाहर लिकाले जायेंगे और एक साथ मिला दिये जायेंगे. तत्पश्चात् मत पत्रों की संवीक्षा की जायेगी और विधिमान्य मतों की गणना की जायेगी.

(3) कोई उम्मीदवार मतों की गणना की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिये या तो स्वयं उपस्थित रह सकेगा या अपने द्वारा लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी प्रतिनिधि को भेज सकेगा.

(4) रिटर्निंग आफीसर यदि प्रार्थना को जाय, तो उम्मीदवारों को या उसके प्रतिनिधियों को मतपत्र दिखायेगा.

(5) किसी मतपत्र के संबंध में इस आधार पर कि उसमें दिये गये अनुदेशों का पालन नहीं किया गया है या कि रिटर्निंग आफीसर द्वारा किसी मतपत्र को अस्वीकार कर दिये जाने के संबंध में यदि कोई आक्षेप

किया जाता है तो रिटर्निंग आफीसर द्वारा तत्काल इसका विनिश्चय किया जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

36. (1) जब मतों की गणना समाप्त की जा चुकी हो, तो रिटर्निंग आफीसर तुरन्त उन उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित करेगा, जिनको सबसे अधिक संख्या में मत दिये गये है.

(2) जब यह पाया जाय कि किन्हीं उम्मीदवारों को बराबर-बराबर मत प्राप्त हुये है, तो रिटर्निंग आफीसर की उपस्थिति में ऐसी स्थिति में जिसे कि वह अवधारित करे, लाट डालकर निर्वाचन घोषित किये जाने वाले उम्मीदवार का चुनाव किया जायगा.

37. रिटर्निंग आफीसर गणना समाप्त होने पर तथा उसके द्वारा परिणाम की घोषणा की जाने के पश्चात् मतपत्रों को तथा निर्वाचन संबंधी समस्त अन्य दस्तावेजों को मोहरबंद करेगा, तथा उन्हें छः माह की कालावधि तक अपने पास रखेगा और तत्पश्चात् उनको नष्ट कर देगा.

38. रिटर्निंग आफीसर यदि वह अध्यक्ष न हो, निर्वाचन का परिणाम अध्यक्ष को संसूचित करेगा, संसूचना प्राप्त होने पर अथवा ऐसी स्थिति में जब कि वह स्वयं रिटर्निंग आफीसर हो, परिणाम की घोषणा के तत्काल बाद, अध्यक्ष उसे राजपत्र में प्रकाशित करायेगा, परिणाम राज्य में मुद्रित और प्रकाशित होने वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया जायगा और उसकी एक प्रति, राज्य परिषद् के कार्यालय में किसी सहज दृश्य स्थान पर चिपकायी जायेगी.

39. उप निर्वाचन की स्थिति में रिटर्निंग आफीसर प्रारूप एक में राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा मतदाताओं से ऐसी कालावधि के लिये किसी व्यक्ति का निर्वाचन करने के लिये कहूंगा तथा ये नियम ऐसी रिक्ति को भरने के लिये किसी सदस्य के निर्वाचन पर यथाशक्य लागू होंगे.

चौथा अध्याय-सदस्यों का नाम निर्देशन

ख्धारा 19 के खण्ड (ख) के अधीन,

40. रजिस्ट्रार राज्य परिषद् के प्रथम गठन के समय अथवा जव सामान्य घटनाक्रम में कोई स्थान रिक्त होता है या उस तारीख से, जिसको धारा 19 के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि समाप्त होती है, अधिक से अधिक तीन माह पूर्व किसी भी समय यथास्थिति, किसी एक सदस्य या सदस्यों के नाम निर्देशन के लिये जैसा आवश्यक हों, राज्य शासन की लिखेगा.

पांचवा अध्याय- सदस्यों का निर्वाचन

ख्धारा 19 के खण्ड (ग) के अधीन,

41. रजिस्ट्रार, धारी 19 के खण्ड (ग) के अधीन भरी जाने वाली रिक्ति की तारीख से कम से कम तीन माह पूर्व, मध्यप्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद् से उसके स्वयं के नियमों और विनियमों के अनुसार आयोजित परिषद् की बैठक में किसी सदस्य का निर्वाचन करने के लियि तथा निर्वाचन का परिणाम उुपर उल्लेखित तारीख से अधिक से अधिक एक माह पहले रजिस्ट्रार को संसूचित करने का अनुरोध करेगा.

छटवा अध्याय-पदेन सदस्य

{धारा 19 के खण्ड (घ) तथा (ड़) के अधीन}

42 रजिस्ट्रार, के नवीन राज्य परिषद् के गठन के कम से कम तीन माह पूर्व, राज्य के प्रमुख प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी अर्थात् संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा अनुभाग, मध्यप्रदेश को, यह सूचना देते हुऐ सम्बोधित करेगा कि वह या यदि वह किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो, तो उस संबंध में उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई व्यक्ति, धारा 19 के खण्ड (घ) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार उसकी अवधि के दौरान नई परिषद् का पदेन सदस्य होगा.

43. रजिस्ट्रार, नवीन राज्य परिषद् के गठन के कम से कम तीन माह पूर्व राज्य शासन को औषधि द्रव्य और प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 (क्रमांक 23 सन् 1940) के अधीन राज्य परिषद् में कार्य करने के लिये पदेन सदस्य के रूप में एक शासकीय विश्लेषक की नियुक्ति करने के लिये लिखेगा.

सातवां अध्याय-अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन

{धारा 23 (1) के अधीन}

44. (1) धारा 23 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन अध्यक्ष के नाम निर्देशन के मामले को छोड़कर रजिस्ट्रार, धारा 19 के अधीन राज्य परिषद् के गठन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने के प्रायोजन के लिए, नवीन राज्य परिषद् के सभी सदस्यों की एक सम्मिलिन संयोजित करेगा.

(2) इस प्रकार संयोजित बैठक में उपस्थित सदस्य, अध्यक्ष के निर्वाचन का संचालन करने के लिए होने वाले सम्मिलन का सभापति होने के लिए अपने में से किसी एक सदस्य का निर्वाचन करेगें.

(3) सम्मिलन में सदस्यों द्वारा नाम प्रस्तावित और अनुमोंदित किये जाऐगें तथा उस स्थिति में, जब एक से अधिक नाम सम्यक् रूप से प्रस्तावित और अनुमोदित किए गए हों, मतपत्र द्वारा मत लिये जायेंगे, जिनमें प्रत्येक उपस्थित सदस्य सदस्य एक मत देगा. जब वह पाया जाये

किन्ही दो उम्मीद्वारों को समान मत मिले है, तब कौन व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किया जाय इस प्रश्न का विनिश्चय लाट डालकर किया जाएगा.

(4) जब अध्यक्ष निर्वाचित किया जा चुका हो, तब वह, यदि उस सम्मिलन में उपस्थित हो, तो उपाध्यक्ष के निर्वाचन का संचालन करेगा, यदि वह उस सम्मिलन में उपस्थित न हो, तो अध्यक्ष के निर्वाचन का संचालन करने के लिये निर्वाचित सभापति ही उपाध्यक्ष के निर्वाचन का भी संचालन करेगा. उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित वही होगी, जो कि अध्यक्ष के निर्वाचन के लिये उुपर अभिकथित है.

45. यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद के लिए आकस्मिक रिक्ति होती है, तो वह यथासंभव शीघ्र भरी जायेगी तथा ऐसे निर्वाचन पर ये नियम यथाशक्य लागू होंगे.

आठवां अध्याय-कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन

(धारा 27 के अधीन)

46. (1) नये राज्य परिषद् के आरंभ होन समय का जब किसी भी कारण से कार्यकारिणी समिति के किसी सदस्य का पद रिक्त हो, तब अध्यक्ष, यथास्थिति, कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिये या रिक्त स्थान को भरने के लिये, एक तारीख नियत करेगा, तथा रजिस्ट्रार, राज्य परिषद् के प्रत्येक सदस्य को इस प्रकार नियत तारीख पर लागू होंगे,

(2) नियम 44(3) के उपबन्ध कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के निर्वाचन पर लागू होंगे.

नवां अध्याय- सामान्य

47. नई राज्य परिषद् के गठन पर रजिस्ट्रार, सर्वसाधारण की सूचना के लिए "राजपत्र" में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों के साथ-साथ सभी निर्वाचित, पदेन तथा नामनिर्दिष्ट सदस्यों की सूची प्रकाशित करायेगा.

दसवां अध्याय-

48. परिषद् का सम्मिलन.-परिषद् का सम्मिलन सामान्यत: एक कैलेन्डर वर्ष में दो बार ऐसी तारीखों को और ऐसे स्थानों पर होगा जो अध्यक्ष द्वारा नियत किये जाएं. परन्त यह कि अध्यक्ष:-

(एक)किसी ऐसे अतिआवश्यक मामले पर जिसकी और परिषद् का ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित हो, विचार करने के लिये कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना देकर किसी भी समय विशेष सम्मिलन बुला सकेगा;

(दो) कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना देकर विशेष सम्मिलन बुला सकेगा, यदि उस प्रायोजन का जिसके लिये वे सम्मिलन बुलाने के इच्छुक हो, तथा जो परिषद् के कृत्यों की परिधि में आता हो, उल्लेख करते हुए कम से कम छ: सदस्यों के हस्ताक्षरों में ऐसी कोई मांग पत्र उसे लिखित रूप से प्राप्त हो.

49. नियम 48 के उपबंधों में निर्दिष्ट सम्मिलन में. जब तक कि परिषद् एक संकल्प द्वारा अन्यथा अवधारित न करें, उसी विषय या उन्हीं विषयों पर चर्चा होगी जिस, जिन पर विचार करने के लिए यह सम्मिलन बुलाया गया है.

50. परिषद् की राय मांगने के संबंध में राज्य शासन से प्राप्त निर्देशों पर, जब तक कि "अत्यावयशक" अंकित न हो, परिषद् के अगले साधारण सम्मिलन में विचार किया जाना चाहिये . पश्चात् कथित मामलों में निर्देश पर विचार करने के लिये कार्यकारिणी समिति की एक विशेष सम्मिलन आहूत किया जा सकेगा.

51. प्रत्येक साधारण सम्मिलन की सूचना रजिस्ट्रार द्वारा परिषद् के प्रत्येक सदस्य को सम्मिलन की तारीख से कम से कम चालीस दिन पूर्व भेजी जायेगी.

52. अध्यक्ष, रजिस्ट्रार के परामर्श से सम्मिलन की कार्यसूची तैयार करेगा, जिसमें पिछले अवशिष्ट विषय और सदस्यों द्वारा दिये गये प्रस्तावों की सूचना अन्तर्विष्ट होगी. रजिस्ट्रार ऐसे सम्मिलन की तारीख से कम से कम बारह दिन पहले परिषद् के सभी सदस्यों में कार्यसूची का वितरण करेगा.

53. प्रस्तावों की सभी सूचनाएं किसी सम्मिलन के लिये नियत तारीख से कम से कम अट्ठाईस दिन पहने रजिस्ट्रार के पास पहूंच जानी चाहिये तथा तत्पश्चात् ऐसे प्रस्ताव की एक प्रति रजिस्ट्रार द्वारा सम्मिलन की तारीख से कम से कम इक्कीस दिन पहले सभी सदस्यों को भेजी जायेगी.

परन्तु अध्यक्ष, यदि परिषद् सहमत हो, ऐसे किसी प्रस्ताव के संबंध में जो कार्य सूची में शामिल न किया गया हो, किसी भी समय चर्चा करने के लिये अनुमति करेगा;

परन्तु यह और भी कि इस नियम में दी गई कोई भी बात कार्य कारिणी समिति द्वारा परिषद् को किसी सम्मिलन के ठीक पश्चात् या कार्यकारिणी समिति के सम्मिलन के तत्काल पश्चात किसी मामले की निर्देशित करने से नहीं रोकेगी

54. (1) उस स्थिति में प्रस्ताव ग्राह्य नही होगा :-

(क) यदि वह मामला, जिससे वह संबंधित हो, परिषद् के कृत्यों की परिधि में न आता हो ; या

(ख) यदि इनसे ऐसे प्रस्ताव या संशोधन के रूप में सारभूत रूप से यही प्रश्न उठता है, जो कि परिषद् की अनुमति से उस सम्मिलन की जिसमें उसका रखा जाना प्रस्तावित हो, तारीख के पूर्ववर्ती 1 वर्ष के भीतर रखा गया हो तथा अस्वीकृत किया गया हो या वापस ले लिया गया हो :

परन्तु इन नियमों में दी गई किसी भी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि वह अधिनियम के अधीन परिषद् को उसके किसी भी कृत्य के पालन में राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट किसी भी मामले पर और आगे चर्चा करने से रोकती है ; या

(ग) यदि यह स्पष्ट और ठीक-ठीक न हो या सारभूत रूप से न उठाया गया हो ;

(घ) यदि उसमें अनुमान, व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तियों या मानहानिकारक कथन हों,

(2) अध्यक्ष ऐसे किसी भी प्रस्ताव को नामजूंर कर देगा, जो उसकी राय में उप नियम (1) के अधीन ग्राह्य नहीं है:

परन्तु यदि प्रस्ताव किसी संशोंधन द्वारा ग्राह्य बनाया गया हो तो अध्यक्ष प्रस्ताव को नामंजूर करने के बजाय इसे संशोधित रूप में ग्रहण कर सकेगा.

(3) जब अध्यक्ष, प्रंस्ताव की नामंजूर कर देता है या इसे संशोधित रूप में स्वीकार करता है, तो रजिस्ट्रार यथास्थिति उन सदस्यों को जिन्होने प्रस्ताव की सूचना दी थी, नामंजूरी के आदेश की या उस स्वरूप की, जिसमें प्रस्ताव स्वीकार किया गया है, सूचना देगा.

55. रजिस्ट्रार द्वारा एक नामावली पुस्तिका रखी जायेगी, जिसमें सम्मिलन में उपस्थित होने वाला प्रत्येक सदस्य ऐसी उपस्थित की तारीख की अपना नाम दर्ज करेगा.

56. यदि सम्मिलन बुलाने की सूचनांए जारी कर दी गयी हों तथा अध्यक्ष की राय में यह आवश्यक या उचित हो गया हो कि सम्मिलन के लिये नियत तारीख बदली जानी चाहिये ; तो अध्यक्ष सम्मिलन को किसी ऐसी अन्य तारीख तक के लिये स्थगित कर सकेगा जो कि सम्मिलन के लिये मूलत: नियत तारीख के 10 दिन से अधिक बाद की न हो, तथा रजिस्ट्रार परिषद् के प्रत्येक सदस्य को, नई सूचनाएं जारी करेगा, जिसमें सम्मिलन के लिये नियत नई तारीख निर्दिष्ट होगी. ऐसी सूचना सम्मिलन के लिये मूलत: नियत तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले जारी की जायेगी.

57. सम्मिलन में निपटाया जाने वाला कार्य सम्मिलन के प्रथम दिन चार बजे अपरान्ह तक समाप्त न होने की स्थिति में, अध्यक्ष सम्मिलन को उसके अगले दिन तक के लिये और रविवारों और राजपत्रिक छुट्टियों को छोड़कर एक दिन से दूसरे दिन तक के लिए जब तक कि सम्मिलन का कार्य समाप्त नहीं हो जाता स्थगित कर सकेगा.

58. (1) अध्यक्ष किसी भी समय किसी भी सम्मिलन को या किसी भी कार्य को किसी भी भविष्यवर्ती दिन तक या उसी दिन किसी भी समय तक स्थगित कर सकेगा ;

(2) जब कोई सम्मिलन नियम 57 में यथा उपबंधित दिन के अलावा किसी भावी दिन तक स्थगित कर दी जाती है. तब रजिस्ट्रार ऐसे प्रत्येक सदस्य को, जो ऐसी सम्मिलन में उपस्थित नहीं था, ऐसे स्थगन की सूचना भेजेगा ;

(3) जब कोई सम्मिलन नियम 27 में या उपबंधित दिन से भिन्न किसी भविष्यवर्ती दिन तक स्थगित कर दी गई हो , तो अध्यक्ष ऐसी तारीख को किसी अन्य तारीख में बदल सकेगा और रजिस्ट्रार ऐसे परिवर्तन की सूचना प्रत्येक सदस्य को भेजेगा.

परिषद् के सम्मिलनों में कार्य संचालन

59. (एक) परिषद् के प्रत्येक सम्मिलन की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा या यदि यह अनुपस्थित हो तो किसी अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी, जो उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया गया हो सम्मिलन का इस प्रकार निर्वाचित अध्यक्ष, किसी सम्मिलन की अध्यक्षता करते समय परिषद् के अध्यक्ष की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा.

(दो) परिषद् के छह सदस्यों से गणपूर्ति होगी, परन्तु यह कि गणपूर्ति के अभाव में स्थगित किये गए सम्मिलन के लिए कोई गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी.

60. कोई सम्मिलन तब तक आरंभ नही होगा जब तक गणपूर्ति न हो गयी हो और यदि सम्मिलन के लिये निश्चित समय से 20 मिनट की समाप्ति पर या किसी सम्मिलन के दौरान गणपूर्ति न होती हो, तो सम्मिलन ऐसे भावी समय तथा तारीख तक जो अध्यक्ष द्वारा नियत की जाय, स्थगित रहेगी.

61. (एक) ऐसे सभी मामले जो परिषद् के सम्मिलन के समक्ष आ सके है, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किए जाएगें. यह अपेक्षा की जाएगी कि प्रत्येक प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाय तथा किसी अन्य सदस्य द्वारा उसका अनुमोदन किया जाय.

(दो) मतदान अध्यक्ष के निदेशानुसार ध्वनि से, हाथ उठाकर या मतपत्र द्वारा कराया जाएगा ;

परन्तु यदि कम से कम तीन सदस्य चाहें और मांग करें तो मतपत्र द्वारा मत लिये जायेंगे ;

परन्तु यह और भी कि यदि मतदान हाथ उठाकर या ध्वनि द्वारा कराया गया हो तो किसी भी सदस्य द्वारा मांग की जाने पर मत विभाजन की अनुमति दी जायेगी.

62. ऐसे सभी मामले में जिनमें मत विभाजन हुआ हो, कोई भी सदस्य इस बात की अपेक्षा कर सकेगा कि प्रस्ताव के पक्ष में तथा विपक्ष में मत देने वाले बहुमत या अल्पमत के या मत न देने वाले सदस्यों की संख्या या नाम अथवा नाम और संख्या दोनों की कार्यवृत में दर्ज किये जाये ; और तत्पश्चात् अपेक्षित विवरण समानत: दर्ज किये जायेंगे.

63. जब एक ही आशय के प्रस्ताव दो या अधिक सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जाये तो अध्यक्ष यह विनिश्चत करेगा कि किसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये और तब अन्य प्रस्ताव वापस ले लिया गया/वापस ले लिये गये माना जायेगा/माने जायेगे.

64. (एक) यह प्रस्ताव या संशोधन, जिसका अनुमोदन किया गया हो, गिर गया माना जायेगा,

(दो) जब किसी प्रस्ताव का अनुमोदन प्राप्त हो जाये, तो अध्यक्ष द्वारा इसे पढ़कर सुनाया जायेगा.

(तीन) जब कोई प्रस्ताव इस प्रकार सुना दिया जाय, तो उस पर एक ऐसे प्रश्न के रूप में चर्चा की जा सकेगी जिसे सकारात्मक या नकारात्मक रूप में हल किया जाना हो या कोई सदस्य नियम 35 तथा 36 के अध्यधीन उस प्रस्ताव का संशोधन प्रस्तुत कर सकेगा: परन्तु अध्यक्ष किसी भी ऐसे संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति नही देगा, जो यदि वह मूल प्रस्ताव होता तो नियम 24 के अधीन अग्राह्य होता, या जो उसकी राय में तुच्छ है.

65. कोई भी संशोधन, प्रस्ताव से सुसंगत होना चाहिये और प्रस्ताव की परिधि के भीतर होना चाहिये और उसका प्रभाव मात्र नकारात्मक मत कर नहीं होना चाहिये.

66. किसी प्रस्ताव की निम्नानुसार संशोधित किया जा सकेगा :-

(क) शब्दों के लोप, अन्तर्स्थापन या उनकी जोड़ने से ;

(ख) किन्हीं भी मूल शब्दों के स्थान पर अन्य शब्दों को प्रतिस्थापित करके.

67. ऐसे प्रत्येक संशोधन पर जो ग्रहण कर लिया गया हो. चर्चा की जायेगी और मतदान कराया जायेगा.

68. यदि और जब समस्त संशोधन अस्वीकार कर दिये जायं, तो मूल प्रस्ताव पर चर्चा की जायेगी और मतदान कराया जायेगा.

69. यदि कोई संशोधन स्वीकृत् हो गया हो, तो इस प्रकार संशोधित मूल प्रस्ताव को मुख्य प्रस्ताव माना जायेगा और उस पर चर्चा की जायेगी तथा मतदान कराया जायगा.

70. यदि चर्चा के दौरान कोई भी सदस्य सम्मिलन के समक्ष प्रस्तुत कार्य से संबंधित जानकारी किसी अन्य सदस्य से प्राप्त करना चाह तो यह अध्यक्ष के जरिये ऐसा करेगा.

71. परिषद् द्वारा पारित संकल्पों पर अध्यक्ष द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित जानकारी खुले सम्मिलन में मांगी जा सकेगी किन्तु ऐसे मामलों में कम से कम चार सप्ताह की पूर्व सूचना दी जायेगी.

72. (1) जब प्रस्ताव पर विचार विमर्श हो रहा हो सच उसके संबंध में निम्नलिखित से संबंधित प्रस्ताव को छोड़कर अन्य कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नही किया जा सकेगा :-

(क) प्रस्ताव का संशोधन ;

(ख) विचार विमर्श को किसी विनिर्दिष्ट तारीख या विनिर्दिष्ट समय या अनिश्चित काल के लिये स्थगन ; परन्तु अध्यक्ष प्रस्ताव पर परिषद् के समक्ष रखने से इनकार कर सकेगा ;

(ग) चर्चा की समाप्ति ;

(घ) कार्य सूची की अगली मद पर विचार विमर्श करना.

(2) उपनियम(1) के खण्ड (ख), (ग) तथा (घ) में विनिर्दिष्ट स्वरूप का कोई भी प्रस्ताव किसी भी ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत या अनुमोदित नहीं किया जायेगा, जो उस प्रश्न पर पहने ही बोल चुका हों.

(3) जब तक अध्यक्ष की राय न हो कि समाप्ति का प्रस्ताव युक्तियुक्त विचार विमर्श के अधिकार का दुरूपयोग है, वह तत्काल प्रस्ताव रखेगा कि प्रश्न अब रखा जाय, और यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो विचार विमर्श के अधीन मुख्य प्रस्ताव या संशोधन तत्काल प्रस्तुत किया जायेगा :

परन्तु , अध्यक्ष, मुख्य प्रस्ताव पर मतदान कराने के पूर्व, मुख्य प्रस्ताव के प्रस्ताविक को विचार विमर्श का उतर देने की अनुमति देगा.

73. कोई भी ऐसा प्रस्ताव या संशोधन जो प्रस्तुत और अनुमोदित किया गया हो, उपस्थित सदस्यों की सम्मति के बिना वापस नहीं लिया जायगा.

74. जब कोई प्रस्ताव प्रस्तुत और अनुमोदित किया गया हो तो प्रस्तावक तथा अनुमोदनकर्ता से भिन्न सदस्य प्रस्ताव पर ऐसे क्रम से बोल सकेंगे जैसा कि अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया जाय:

परन्तु किसी प्रस्ताव या संशोधन का अनुमोदन कर्ता अध्यक्ष की अनुमति से, यथास्थिति, प्रस्ताव या संशोधन के अनुमोंदन तब ही अपने को सीमित रखेगा और विचार-विमर्श की किसी भी पश्चात्वर्ती अवस्था में उस बोल सकेगा.

75. (1) किसी मूल प्रस्ताव का प्रस्तावक और यदि अध्यक्ष द्वारा अनुमति दी गई हो तो, किसी भी संशोधन के प्रस्तावक को अन्तिम उत्तर देने का अधिकार होगा. कोई भी अन्य सदस्य किसी भी विचार विमर्श में तय तक एक से अधिक वार नहीं बोलेगा, जब तक कि अध्यक्ष उसे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने के प्रायोजन से या परिषद् की तत्समय सम्बोधित कर रहे सदस्य से किसी मुधे पर कोई जानकारी प्राप्त करने के लिये ऐसा करने की अनुमति न दे:

परन्तु कोई भी सदस्य विचार विमर्श की किसी भी अवस्था में औचित्य का प्रश्न उठा सकेगा, किन्तु उस मुधे पर भाषण देने का अनुमति नहीं होगी :

परन्तु यह और भी कि कोई ऐसा सदस्य, जो किसी प्रस्ताव पर बोल चुका हो, उस प्रस्ताव के किसी भी ऐस संशोधन पर जो कि बाद में प्रस्तुत किया गया हो, बोल सकेगात्र

(2) अध्यक्ष, भाषणों के समय को इस प्रकार विनियमित कर सकेगा, जैसा वह उचित समझें.

(3) भाषण सर्वथा, उस प्रस्ताव का संशोधन की, जिस पर वह किया गया हो, विषय वस्तु तक ही सीमित होगा.

(4) कोई ऐसा प्रस्ताव या संशोधन, जो किसी ऐसे सदस्य के नाम हो, जो सम्मिलन में अनुपस्थित हो या उसे प्रस्तुत करने के लिये अनिच्छुक हो. अध्यक्ष के अनुमति से किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा.

76. (1) परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किसी विषय पर कोई सर्वेक्षण करने का इच्छुक सदस्य, अध्यक्ष को सम्बोधित करेगा.

(2) यदि किसी भी समय अध्यक्ष खड़ा हो जाय, तो बोलने वाला सदस्य तत्काल अपना आसन पुनग्रहण कर लेगा.

(3) परिषद् के समक्ष उस समय प्रस्तुत कार्य को छोड़कर अन्य किसी भी कार्य के संबंध में किसी सदस्य को बातें नही सुनी जायेगी.

77. (1) जब किसी प्रस्ताव का कोई संशोधन प्रस्तुत किया जाय और उसका अनुमोदन किया जाय या जब दो या अधिक ऐसे संशोधन प्रस्तुत किये जाये तथा अनुमोदित किये जाये, तो अध्यक्ष उस पर परिषद् की राय लेने के पूर्व मूल प्रस्ताव और प्रस्तावित संशोधन या संशोधनों के निबन्धन परिषद् को बतायेगा या जाकर सुनायेगा.

(2) किसी प्रस्ताव के संशोधन पर पहले मतदान कराया जावेगा

(3) यदि किसी प्रस्ताव के संबंध में एक से अधिक संशोधन हो तो अध्यक्ष यह विनिश्चित करेगा कि उन्हें किस क्रम से लिया जायेगा.

78. जब किसी ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा की जा चूकी हो जिसमें अनेक मुधे हो तो अध्यक्ष स्वविवेकानुसार प्रस्ताव को विभाजित कर सकेगा और प्रत्येक मुधे पर, जैसा कि यह उचित समझें, अलग-अलग मतदान करा सकेगा.

79. (1) किसी स्थगित सम्मिलन में, जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेर्शित न करे, कार्यसूची के किसी भी अन्य विषय की अपेक्षा ऐसे प्रस्ताव को अग्रता दी जायेगी, जो पूर्वतन दिन से विचाराधीन हो,

(2) या तो सम्मिलन के आरम्भ में या सम्मिलन के दौरान किसी भी विशिष्ट मद पर विचार विमर्श की समाप्ति के पश्चात् अध्यक्ष या कोई सदस्य कार्य-सूची के क्रम में किसी परिवर्तन का सुझाव दे सकेगा. यदि उपस्थित सदस्य सहमत हो जाय तो ऐसा परिवर्तन कर दिया जायेगा.

(3) किसी भी ऐसे मामले पर जो मूल सम्मिलन की कार्यसूची में न रहा हो, स्थगित सम्मिलन में चर्चा नही की जायेगी.

80. (1) अध्यक्ष औचित्य के सभी प्रश्नों को, जोकि उठ सकते है, विनिश्चय करेगा और उन पर उसके विनिश्चय अन्तिम होगा.

(2) यदि किसी ऐसे विषय की प्रक्रिया के संबंध में जिसके लिये इन नियमों में कोई व्यवस्था नहीं की गई है, कोई प्रश्न उठता है तो अध्यक्ष उसकी विनिश्चित करेगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा.

(3) मध्यप्रदेश औषध निर्माण शाला परिषद् , भोपाल के विनिश्चय के विरूद्ध कोई अपील मध्यप्रदेश शासन को की जा सकेगी.

परिषद् के कार्यवृत

81. परिषद् सम्मिलन की कार्यवेवाहियां, मुद्रित का वृत के रूप में परिरक्षित रखी जायेगी जिसे पुष्टिकरण के पश्चात् अध्यक्ष के हस्ताक्षर के अधीन अभिप्रमाणित किया जायेगा.

82. प्रत्येक सम्मिलन के कार्यवृत की एक प्रति सम्मिलन होने के दस दिन के भीतर अध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी और उसे अध्यक्ष द्वारा अनुप्रमाणित

किया जायेगा और तत्पश्चात् सम्मिलन होने के तीस दिन के भीतर उसकी परिषद् के प्रत्येक सदस्य के पास भेज दिया जायगा.

83. (क) रजिस्ट्रार द्वारा सदस्यों की कार्यवाहियों के प्रेषण के तीस दिन के भीतर कार्यवृत की शुद्धता संबंधी आक्षेप, यदि कोई हो, रजिस्ट्रार को भेजे जा सकेगें.

(ख) आक्षेप जो खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त न हों, उन पर विचार नही किया जायेगा.

84. यदि कार्यवृत् के प्रेषण के तीस दिन के भीतर कार्यवृत की शुद्धता के संबंध में रजिस्ट्रार को कोई आक्षेप प्राप्त हो तो ऐसे आक्षेप को यथा अभिलेख तथा अनुप्रमाणित कार्यवृत् के साथ परिषद् के अगले सम्मिलन में पुष्टि के लिये रखा जायेगा. इस सम्मिलन में , सम्मिलनों की कार्यवाहियों के अभिलेख की शुद्धता को छोड़ कर कोई भी अन्य प्रश्न नही उठाया जायेगा.

85. परिषद् के कार्यवृत् उनकी पुष्टि के पश्चात शीटों में तैयार किये जायेंगे और उनकी एक ऐसी जिल्द में , जिसे स्थायी रूप से पिररक्षित किया जायेगा, अंत: स्थापित करने के लिये उन पर क्रमा से पृष्ठ संख्या डाली जायगी ऐसी जिल्द की एक प्रति परिषद् के प्रत्येक सदस्य को नि:शुल्क दी जाएगी.

86. परिषद् का कोई भी सदस्य अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन के बिना परिषद् के किसी सम्मिलन की कार्यवाही का कोई प्रतिवेदन किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका में प्रकाशित नही करेगा.

ग्यारहवां अध्याय-अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य

87. अध्यक्ष ऐसे कार्य करेगा जो उन लक्ष्यों की अग्रसर करने के लिये आवश्यक हो, जिसके लिये परिषद् की स्थापना की गइ हो और वह परिषद् के संकल्पो और विनिश्चयों को क्रियान्वित करेगा. अध्यक्ष, परिषद् के प्रत्येक सम्मिलन को, जिसमें वह उपस्थित हो, अध्यक्षता करेगा और ऐसे अन्य कृत्य करेगा तथा ऐसे अन्य शक्तियों का उपयोग करेगा, जो उसे समनुदेशित की जाये.

88. (क) उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियों के प्रयोग करेगा और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो उसे अध्यक्ष द्वारा समनुदेशित किये जाये.

(ख) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो या यदि अध्यक्ष किसी कारणवश अपने पर की शक्तियों का प्रयोग करने या कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो उपाध्यक्ष, उसके स्थान पर कार्य करेगा और अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करेगा.

बारहवां अध्याय

89. कार्यकारिणी समिति-कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित सदस्य होगें-

(क) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कार्यकारिणी समिति के पदेन सदस्य होंगे और शेष तीन सदस्य निर्वाचित किये जायेगे

(ख) अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्यकारिणी समिति के सभापति के रूप में कार्य करेगा. यदि वो अनुपस्थित हों, तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को सभापति के रूप में कार्य करने के लिये निर्वाचित करेंगे,

(ग) कार्यकारिणी समिति के सम्मिलन के लिये तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी. स्थगित सम्मिलन के लिये कोई गणपूर्ति आवश्यक नही होगी.

90. यदि किसी सम्मिलन के लिये नियत समय पर गणपूर्ति से हो, तो सम्मिलन तब तक आरम्भ नही होगा जब तक गणपूर्ति न हो जाय, और यदि सम्मिलन के लिये नियत समय से तीस मिनट की समाप्ति पर या किसी भी सम्मिलन के दौरान गणपूर्ति न हो, तो सम्मिलन ऐसी अगली तारीख तथा समय के लिये स्थगित हो जायेगी जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाय,

91. कार्यकारिणी समिति का सम्मिलन, परिषद् के सम्मिलनों पर लागू होने वाले नियमों द्वारा शासित होगा.

92. कार्यकारिणी समिति में कोई रिक्ति होने की स्थिति में, जो किसी विश्रामकाल के दौरान घटित हो, अध्यक्ष, परिषद् के अगले सम्मिलन तक, जो अपने एक सदस्य की कार्यकारिणी समिति का सदस्य होने के लिये निर्वाचित करेगी, इस रिक्ति को भरने के लिये परिषद् के किसी भी सदस्य को सहयोजित कर सकेगा.

93. (क) कार्यकारिणी समिति, परिषद् के किसी भी ऐसे सदस्य को , जो कार्यकारिणी समिति का सदस्य न हो, अपनी किसी बैठक में उपस्थित होने के लिये आमन्त्रित कर सकेगी.

(ख) इस प्रकार आमन्त्रित कोई सदस्य सम्मिलन को चर्चाओं में भाग लेने के लिये स्वतन्त्र होगा ; किन्तु मत देने का या प्राप्त किसी भी अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा.

94. कार्यकारिणी समिति का सम्मिलन ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर होगा जो कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाय.

कार्यकारिणी समिति अधिनियम के अपबन्धों, नियमों नया आचार संहिता के उल्लंघन के लिये रजिस्ट्रीकृत् शक्तियों से प्राप्त स्पष्टीकरणों पर विचार करेगी.

95. कार्यकारिणी समिति ऐसे किसी विषय पर भी, जो उसे परिषद् द्वारा या उसके अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया जाय, विचार करेगी और उसको एक रिपोर्ट तैयार करेगी. रजिस्ट्रार कार्यवाहियों का कार्यवृत रखेगा, जिसे यथासम्भव परिषद् के सदस्यों के बीच परिचालित किया जायेगा.

परन्तु यदि कार्यकारिणी समिति और परिषद् के सम्मिलन के बीच 24 घंटे से अधिक का अन्तराल हो, तो ये कागज पत्र सदस्यों के बीच परिचालित नहीं किये जा सकेगें.

तेरहवां अध्याय-राज्य परिषद् का रजिस्ट्रार तथा अन्य कर्मचारीबन्द

96. (1) रजिस्ट्रार, परिषद् का पूर्णकालिक वेतन भोगी अधिकारी होगा किन्तु प्रथमत: वह दो वर्ष की कालावधि के लिये अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जायेगा:

परन्तु अंशकालिक आधार पर नियुक्ति किये रजिस्ट्रार का परिश्रमिक उसके वेतन का 20 प्रतिशत या 200 रूपये प्रतिमास इसमें से जो भी कम हो, होगा.

(2) रजिस्ट्रार साधारणत: राज्य शासन का सेवा-निवृत चिकित्साधिकारी होना चाहिये. यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से योग्य हो तो उसे 62 वर्ष की उम्र तक रखा जा सकता है. जब तक परिषद् द्वारा अन्यथा अवधारित न किया गया हो, रजिस्ट्रार की सेवा किसी भी पक्ष से तीन माह की सूचना दे कर समाप्त की जा सकेगी.

(3) रजिस्ट्रार ऐसे कर्त्तव्यों का पालन तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो उसे अधिनियम या नियमों के अधीन सौपी जाय. वह परिषद् की सम्पति की सुरक्षा तथा कार्यालय के नियंत्रक और प्रबंध, लेखाओं और पत्र-व्यवहार के लिये भी उत्तरदायी होगा तथा सामन्यत: ऐसे सभी कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जिनकी अधिनियम के प्रायोजनों के लिये परिषद् द्वारा उसके अपेक्षा की जाय.

(4) वह परिषद् और कार्यकारिणी समिति के सम्मिलन की कार्यवाहियों में उपस्थित रहेगा और टिप्पणियां लेगा.

97. (1) अध्यक्ष के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए रजिस्ट्रार लिपिक वर्गीय तथा अन्य कर्मचारियबन्द तो नियुक्ति करेगा तथा ऐसे अस्थायी कार्मिकों को नियुक्त कर सकेगा, जिनकी समय-समय पर आवश्यकता हो तथा ऐंसे कार्मिको को समुचित पारिश्रमिक देगा, परन्तु ऐसा पारिश्रमिक तत्समन स्थायी कर्मचारियों के लिये अध्यक्ष द्वारा मंजुर दरों से अधिक नहीं होगा.

(2) लिपिकवर्गीय कर्मचारीबन्द के पूर्णकालिक सदस्य की वेतन का भुंगतान वेतन को उन दर पर किया जायेगा जिस दर पर मध्यप्रदेश शासन के अधीन उसी काडर के लिपिकवर्गीय कर्मचारीबंद का कोई सदस्य हकदार है

(3) अशंकालिक आधार पर नियुक्त लिपिकवर्गीय कर्मचारीबन्द के सदस्य का, पारिश्रमिक का भुगतान उसके वेतन के 20 प्रतिशत की दर से या दो सौ रूपयें इसमें से जो भी कम हो, किया जायगा.

(4) भृत्य वर्ग के पूर्णकालिक सदस्य का वेतन का भुगतान वेतन की उस दर पर किया जायगा जिस दर पर मध्यप्रदेश शासन के अधीन उसी काडर के भृत्य पद का सदस्य हकदार है.

98. रजिस्ट्रार का कर्मचारियों पर अधिकार होगा वह उन पर नियंत्रण रखेगा विभिन्न वर्गो के कर्मचारियों के कर्त्तव्य ऐसे होगे जो उन्हें अध्यक्ष और रजिस्ट्रार द्वारा सोंपे जाय.

99. कर्मचारीबन्द पेन्शन का हकदार नहीं होगे किन्तु स्थायी कर्मचारियों के अंशदायी, भविष्य निधि का लाभ दिया जायेगा जिसके नियम इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट में दिये गये हैं,

100. यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता-परिषद् के रजिस्ट्रार तथा अन्य कर्मचारियों के लिये यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते का भुगतान समय-समय पर यथा संशोधित फण्डामेन्टल रूल्स तथा उसके अधीन बनाये गये अनुपूरक नियमों द्वारा उसी प्रकार शासित होगा जैसा कि वे उसी प्रास्थिति के सरकारी सेवकों को लागू होते हैं.

101. छुट्टी-समय-समय पर यथा संशोधित मध्यप्रदेश सिविल सर्विस (लीव) रूल्स, 1977 परिषद् के रजिस्ट्रार तथा अन्य कर्मचारियों को उसी प्रकार लागू होगे जैसा कि वे उसी प्रास्थिति के सरकारी सेवकों को लागू होते है.

102. अध्यक्ष, रजिस्ट्रार की छुट्टी मंजूर करने के लिये प्राधिकृत होगा.

103. रजिस्ट्रार, परिषद् के अन्य कर्मचारियों की छुट्टी मंजूर करने के लिये तथा उनके स्थानों पर प्रतिस्थानी कर्मचारियों को नियत करने के लिये प्राधिकृत होगा.

चौदहवां अध्याय-रजिस्ट्रीकरण

104. रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन-ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 32 के अधीन अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार है तथा अपने को रजिस्ट्रीकृत कराने का इच्छुक है, प्रारूप नो का सम्यक् रूप से भरकर

तथा उस पर हस्ताक्षर करके रजिस्ट्रार का आवेदन करेगा. ऐसे प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ नियम 24 के अधीन विहित फीस होगी तथा उसमें अधिनियम के अध्याय चार में यथा् अपेक्षित निम्नलिखित विशिष्टयां अन्तर्विष्ट होगी.

(क)रजिस्ट्रीकरण के लिये इच्छुक व्यक्ति का पूरा नाम तथा निवास का पता ;

(ख) आवेदन करने की तारीख ;

(ग) रजिस्ट्रीकरण के अर्हताएं ;

(घ) उसका वृतिक पता तथा यदि यह किसी व्यक्ति द्वारा नियोजित हो तो ऐसे व्यक्ति का नाम ;

(ड) ऐसी और विशिष्टियां जो विहित की जाय.

105. आवेदन पत्र के साथा अध्याय चार के अधीन यथा अपेक्षित अर्हता की पूष्टि में मूल प्रमाण पत्र तथा पत्रोपाधियां की अनुप्रमाणित प्रतियों के साथ उनकी मूल प्रतियां भी होंगी.

106. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्रों के गुम जाने या दुर्घटनावश नष्ट हो जाने की दशा में प्रमाण पत्र धारी किसी भी समय जिसके दौरान ऐसा प्रमाण पत्र प्रभावी हो, फार्मेसी एक्ट की धारा 39 के अधीन नये प्रमाण पत्र के लिये रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा और आवेदक की पहचान के संबंध में संतोषजनक प्रमाण होने पर रजिस्ट्रार यदि, यह उचित समझे तो 5 रूपये की फीस के भुगतान पर ऐसा प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा. इस उप-नियम के अधीन जारी किये गये प्रमाण पत्र पर दूसरी प्रति (डुप्लीकेट) अंकित रहेगा.

107. (1) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति का नाम, उसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन उसमें दर्ज रहेगा तथा ऐसे व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण उस वर्ष के जिसमें रजिस्ट्रीकरण किया गया हो, 31 दिसम्बर तक मान्य रहेगा.

(2) कोई भी व्यक्ति जा अपने रजिस्ट्रीकरण को जारी रखना चाहता हो रजिस्ट्रार के समक्ष उस वर्ष की, जिससे यह सम्बद्ध हो, पहली जनवरी के पूर्व प्रारूप दस में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे आवेदन पत्र के साथ विहित फीस और अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्रों को भेजेगा.

(3) रजिस्ट्रार, ऐसे किसी भी औषधकारण को, जिसने उस वर्ष की, जिसके लिये ऐसी फीस देय हो, पहली जनवरी को अपनी नवीनीकरण फीस संदत्त न की हो, तत्संबंधी संदाय की मांग भेज सकेगा. यह मांग डाक द्वारा भेजे गये एक पत्र के रूप में होगी, जो उस औषधकारक को संबोधित होगी तथा रजिस्टर में दर्ज उसके पते पर भेजी जायगी.

(4) जब नियत तारीख के पहले नवीनीकरण फीस संदत्त न की गयी हो, तब रजिस्ट्रार, व्यतिक्रमों का नाम रजिस्टर से हटा देगा. परन्तु इस प्रकार हटाया गया कोई नाम अधिनियम की धारा 37 के अनुसार विहित फीस और शासित संदत्त कर देने पर रजिस्टर में प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा.

108. (1) अधिनियम की धारा 35 के अधीन किसी अतिरिक्त अर्हता के रजिस्ट्रीकरण के लिये "प्रारूप ग्यारह" में आवेदन किया जायेगा तथा उसके साथ विहित फीस भी होगी.

(2) उप-धारा (एक) के अधीन अतिरिक्त अर्हता के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र पर, रजिस्ट्रार ऐसे औषधकारक को "प्रारूप बारह" में एक प्रमाण पत्र प्रदाय करेगा.

109. रजिस्ट्रार द्वारा किसी अर्हता को दर्ज करने या रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को डालने से इनकार करने के विरूद्ध परिषद् या की गई अपील में वे आधार बताए जाने चाहिये जिस पर रजिस्ट्रीकरण का दावा आधारित हो तथा उस अर्हताओं का नाम और व तारीख, जिनको वे प्राप्त की गई थी, दी जानी चाहिये, ऐसी अपील प्राप्त होने पर कार्यकारिणी समिति जांच करेगी और परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.

110. रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियां विहित फीस का संदाय करने पर किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती है तथा ये "फार्म तेरह" में जारी की जायेगी.

111. (1) परिषद् रजिस्टर से किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम काट सकेगी जिसने-

(क) यह प्रार्थना की हो कि उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाय, तो उस मामले में ऐसे व्यक्ति से यह घोषणा करने की अपेक्षा की जा सकेगी कि उसके विरूद्ध कोई अनुशासनिक या दाण्डिक कार्यवाही नहीं चल रही है या चलाई जाने की कोई संभावना नही है ;

(ख) परिषद् द्वारा अवधारित की जाने वाली कालावधि के भीतर रजिस्ट्रार को, कोई ऐसी सूचना, जिसकी परिषद् अपेक्षा कर देने में असफल रहा है.

(2) परिषद् रजिस्टर से ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम मिटा सकेगी, जिसका नाम अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले या पश्चात किसी ऐसे विश्वविद्यालय, चिकित्सालय, संस्था या अन्य निकाय को नामावली, रजिस्टर या अभिलेख से हटा दिया गया हो, जिससे कि उस व्यक्ति ने ऐसी उपाधि, पत्रोपाधि या प्रमाण पत्र प्राप्त किया था तथा जिसको धारण करने के कारण उसका रजिस्ट्रीकरण किया गया था तथा ऐसे व्यक्ति को दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, इस प्रकार नाम मिटाये जाने की तारीख से रध माना जायेगा.

112. रजिस्ट्रार प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल के बाद उक्त तारीख की स्थिति के अनुसार रजिस्टरों की प्रतियां यथाशक्य शीघ्र मुद्रित करायेगा

तथा ऐसी प्रतियां उनके लिये आवेदन करने वाले व्यक्तियों को विहित व्यय का संदाय करने पर उपलब्ध करायी जायेगी और वे इस बात का साक्ष्य होगी कि उक्त तारीख को ये व्यक्ति जिनके नाम उसमें दर्ज किये गये है, रजिस्ट्रीकृत औषधकारक थे. रजिस्ट्रार ऐसी मुद्रित सूची की एक ऐसी प्रति अपने पास रखेगा, जिसमें हर मुद्रित पन्ने के बाद एक कोरा कागज लगा होगा और वह वर्ष के दौरान और दूसरा रजिस्टर मुद्रित होने तक उस पर कोई भी ऐसी प्रविष्टि परिवर्तन या काट पीट करेगा, जो कि आवश्यक हो.

113. (1) ऐसे प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का, जो अपना पता बदलता है, यह कर्त्तव्य हो कि वह ऐसे परिवर्तन के बाद एक मास के भीतर इस तथ्य की सूचना रजिस्ट्रार को दे.

(2) प्रत्येक जिला मृत्यु रजिस्ट्रार, जिसे मृत्यु की ऐसी सूचना प्राप्त हो, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि मृतक इस व्यवसाय या आजीविका से संबंध रखता था जिसके सदस्य फार्मेसी एक्ट के अधीन रजिस्ट्रीकरणीय है, तत्काल ऐसी मृत्यु परिषद् के रजिस्ट्रार को अधिसूचित करेगा.

114. प्रतिवर्ष निम्नलिखित की गणना की जायगी और उसे मुद्रित औषध निर्माण शाला रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा :-

(1) प्रकाशित रजिस्ट्र में व्यक्तियों की कुल संख्या ;

(2) वर्ष के दौरान रजिस्ट्रीकरण द्वारा उसमें जोड़े गये व्यक्तियों की संख्या

(3) रजिस्टर प्रत्यावर्तित व्यक्यिों की संख्या ;

(4) अधिनियम की उस धारा को , जिसके अधीन नाम मिटाये गये हो, दर्शाते हुए रजिस्टर से मिटाये गये नामों की संख्या तथा

(5) मृत्यु के कारण हटाये गये व्यक्यिों की संख्या.

पन्द्रहवां अध्याय-अपीलें

115. (1) (क) रजिस्ट्रीकरण संबंधी आवेदन को अस्वीकृत करने के रजिस्ट्रार के निर्णय के विरूद्ध अपील परिषद् को जीवित के आधार बताते हुए लिखित में की जायेगी.

(ख) अपील प्राप्त होने पर जांच के लिये परिषद् की कार्यकारिणी समिति को निर्दिष्ट की जायेगी. कार्यकारिणी समिति, मूल पत्रोपाधि (डिप्लोमा) या लाइसेंस आदि और ऐसे अन्य दस्तावेजों साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य की, जो अपेक्षित हों, मांग कर सकती है.

(ग) कार्यकारिणी समिति की रिपोर्ट परिषद् के अगले सम्मिलन में विचारार्थ रखा जा सकेगा. आवेदनकर्ता को, यदि ऐसा चाहा गया हो तो, अपना प्रतिनिधित्व करने के लिये भी अनुज्ञात किया जा सकेगा.

(2) परिषद् के निर्णय के विरूद्ध अपील राज्य शासन को की जायगी.

116. (1) कार्यकारिणी समिति की और से रजिस्ट्रार द्वारा औषधकारक को संबोधित करते हुए लिखित रूप में एक सूचना जारी करके परिषद् द्वारा निदेशित जांच संस्थित की जायेगी. ऐसी सूचना में आरोप का स्वरूप और व्योरे विनिर्दिष्ट किये जायेंगे और उसे वह दिन सूचित किया जायेगा, जिस दिन कार्यकारिणी समिति मामले पर सुनबाई करना चाहती हे तथा उसे आरोप का उत्तर लिखित रूप में देने और कार्यकारिणी समिति के समक्ष उपस्थित रहने के लिये कहा जायेगा. सूचना, सामान्यत: परिशिष्ट (ग) में दिये अनुसार होगी तथा उसमें परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होंगे और वह सुनबाई की तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पहले भेजी जायेगी.

(2) रजिस्ट्रार, इस प्रकार नियत तारीख की जब कि मामला परिषद् के समक्ष रखा जाता है, सूचना शिकायतकर्ता को भी देगा.

117. सूचना जारी करने की तारीख तथा मामले की सुनबाई के लिये विनिर्दिष्ट तारीख के बीच औषधकारक द्वारा भेजे गये किसी भी उत्तर, साक्ष्य या कथन या दिये गये आवेदन पर, अध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से जैसी वह उचित समझे कार्यवाही की जायेगी.

118. (1) सुनवाई की समाप्ति पर कार्यकारिणी समिति एकान्त में, विचार-विमर्श करेगी तथा विचार-विमर्श की समाप्ति पर अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति के उपस्थित सदस्यों को आरोप के स्वरूप के अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों पर मत देने के लिये कहेगा, अर्थात्

(2) यदि उपस्थित सदस्यों की बहुसंख्या (जिसमें अध्यक्ष भी शामिल होगा जो बराबर-बराबर मत होने की दशा में निर्णायक मत दे सकेगा) का मत सकारात्मक हो, तो औषध कारक को आरोप में मुक्त कर दिया जायेगा.

(3) जब उप नियम (3) के अधीन किया गया विनिश्चय औषध कारक का नाम रजिस्टर से हटाने के पक्ष में हो, तब कार्यकारिणी समिति यह आदेश देगा कि राज्य परिषद् द्वारा इस विनिश्चय की पुष्टि हो जाने पर तद्नुसार उसका नाम हटा दिया जाये.

119. रजिस्टर से कोई भी नाम हटा दिये जाने पर रजिस्ट्रार तत्काल इस प्रकार नाम हटाने की सूचना औषध कारक को उसके अन्तिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्रीकृत पत्र द्वारा भेजेगा. रजिस्ट्रार, औषध द्रव्य और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, (क्रमांक 23 सन् 1940) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी की और भी निकाय या निकायों के, जिससे जिनसे औषध कारक न अर्हता या अर्हतायें प्राप्त की हों, संकायाध्यक्ष या सचिव या अन्य अचित अधिकारी को भी इस प्रकार नाम हटाने की सूचना देगा.

120. कार्यकारिणी समिति औषधकारकों के रजिस्टर से किसी ऐसे व्यक्ति का नाम भी हटाा सकेगी, जिसने रजिस्टर से अपना नाम हटाने के लिये प्रार्थना की हो, ऐसे मामले में ऐसे व्यक्ति से ऐसे घोषणा प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जा सकेगी कि उसके विरूद्ध कोई अनुशासनिक या दांडिक कार्यवाही नहीं की जा रही है या की जाने की कोई संभावना नहीं है.

121. किसी रजिस्ट्रीकृत औषध कारक की मृत्यु के संबंध में विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार, औषध कारकों के रजिस्टर से मृत व्यक्ति का नाम हटा देगा.

122. फार्मेसी एक्ट, 1948 की धारा उसके अधीन हटाये गये किसी नाम का प्रत्यावर्तन कराने संबंधी आवेदन पर, राज्य परिषद् के उस सत्र से, जिसमें कि नाम हटाने के आदेश की पुष्टि की गई हो आगामी सत्र तक विचार नहीं किया जायेगा.

123. कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसके नाम रजिस्टर से हटा दिया गया है, किन्तु जिसके पास एक्ट के अधीन उसे रजिस्ट्रीकरण का हकदार बनाने वाली अर्हता अव भी कायम है, रजिस्टर में अपना नाम पुन: दर्ज कराने के लिये परिषद् को आवेदन कर सकेगा तथा ऐसे प्रत्येक आवेदन के मामले में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाइ जायेगी :-

(1) आवेदन पत्र लिखित में तथा आवेदक द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और राज्य परिषद् को संबोधित होगा. उसमें उसे वे आधार भी बताने चाहिये जिन पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है.

(2) (क) आवेदन पत्र के साथ आवेदक द्वारा की गई घोषणा जिसमें उस मामले के तथ्य दिये गये होंगे और यह बताया गया होगा कि वह मूलत: रजिस्ट्रीकृत है ; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज होगा :-

(एक) आवेदक की पत्रोंपाधि, या

(दो) उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति, यदि यह फार्मेसी एक्ट, 1948 की धारा 36 की उपधारा (5) के उपबन्धो के अनुसार उसके द्वारा पहले ही अभ्यर्पित न की गई हो, या

(तीन) अपनी अनन्यता के लिये, उक्त अधिनियम के अधीन दो रजिस्ट्रीकृत औषधकारको का, इन नियमों के संलग्न प्रारूप "ट" में प्रमाण पत्र ;

(3) आवेदन पत्र के विवरण का सत्यापन उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत को औषधकारकों द्वारा जो-.....में रहने है. दिये गये लिखित प्रमाण पत्रों के में भी दिया जायेगा.

सोलहवां अध्याय

124. (1) फीस- अधिनियम के अध्याय चार के अधीन देय फीस तथा रजिस्टर की प्रतिलिपि आदि के लिये आवेदन करने का प्रभार निम्नानुसार होगा -

	रू. पै.
(1) रजिस्टर मे ंप्रथम रजिस्ट्रीकरण के लिये.....	20.00
(2) बाद में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक अर्हता या प्रास्थिति के लिये.	2.00
(3) उस वर्ष या उन वर्षो की, जिनके दौरान नाम दर्ज नहीं रहा, प्रतिधारण फीस के अलावा वार्षिक प्रतिधारण फीस का भूगतान न करने के कारण नाम हटा देने के पश्चात् रजिस्टर में पुन : नाम दर्ज करने के लिये.	5.00
(4) वार्षिक प्रतिधारण के लिये	5.00
(5) अधिनियम की धारा 37 के अधीन रजिस्टर में पुन: नाम दर्ज करने के लिये.	10.00
(6) नाम में किसी परिवर्तन के रजिस्ट्रीकरण के लिये . .	5.00
(7) रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रत्येक प्रमाणित प्रतिलिपि के लिये.	5.00
(8) नियम 4 (2) के अधीन प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति के लिये.	5.00
(9) आवेदन पत्र प्रारूप "बी" की फीस	1.00
(10) डाक टिकिट	2.00

(2) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन या स्टाम्प शुल्क उद्यग्रहण संबंधी तत्समय प्रवृति किसी अन्य तिथि के अधीन उद्ग्रहणीय स्टाम्प शुल्क सहित

सत्रहवां अध्याय-रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र का प्रारूप

125. अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण होने पर प्रत्येक औषधकारक को इन नियमों से संलग्न प्रारूप चौदह रजिस्ट्रार द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र दिया जायेगा.

अठारहवां अध्याय-रजिस्टर का रखा जाना

126. अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) यथा अपेक्षित औषध कारकों का एक रजिस्टर रखा जायेगा तथा वह इन नियमों से संलग्न प्ररूप "पन्द्रह" में होगा.

127. (क) रजिस्टर के नामों को इस तरह लिखा जायेगा कि प्रत्येक नाम के लिये एक अलग पृष्ठ आवंटित हो. प्रत्येक प्रविष्टि के सामने दी गई अर्हता और पते संबधी भावी प्रविष्टियों और परिवर्तनों के लिये पर्याप्त स्थान छोड़ा जायेगा. रजिस्टर का प्रत्येक पृष्ठ रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर के अधीन प्रमाणित किया जायेगा.

(ख) औषधकारकों के सभी नाम प्रत्येक वर्ष वर्णाक्रमानुसार प्रकाशित किये जायेंगे, जो कि उस वर्ष का रजिस्टर होगा.

उन्नीसवां अध्याय-औषधकारकों का आचरण और उनके कर्त्तव्य

128. (1) रजिस्ट्रीकृत औषध कारक औषध में व्यवसाय नहीं करेगा. औषधीय पदार्थो को, जिनमें विषैली और तीव्र (पेटेंट) औषधिया भी सम्मिलित है, उठाने रखने, बेचने, औषधि-मिश्रण तथा वितरण के काम में चिकित्सको और अन्य व्यक्तियों के सहयोग से प्रबंधकारक की पर जन-स्वास्थ्य रक्षा का व्यापक उत्तरदायित्व आरोपित किया गया है.

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत औषध कारक औषधियों के विनिर्माण स्टाक करने, वितरण या विक्रय को शासित करने वाली संविधियों के किन्हीं भी उपबन्धो के उल्लंघन में ओषधियों के व्यवसाय में वह स्वयं को या किसी भी एक व्यक्ति के माध्यम से विभाजित नहीं करेगा.

(3) रजिस्ट्रीकृत औषध कारक अपनी वृति में व्यवसाय में आपस में दूषित स्पर्धा में नहीं रखेगा.

(4) रजिस्ट्रीकृत औषध कारक को औषधियों की बिक्री द्वारा अनुचित लाभ अर्जित नही करना चाहिये.

(5) कोई रजिस्ट्रीकृत औषध कारक किसी ऐसी गतिविधियों में भाग नही लेगा जिसके कारण औषधियों के नुस्खें बनाने में उपेक्षा हो.

बीसवां अध्या-यात्रा भत्ता नियम

129. परिषद् की कार्यकारिणी समिति या किसी भी उप समिति के सम्मिलन में उपस्थित होने के लिये नियम 130 में यथा उपबंधित यात्रा और दैनिक भत्ता देय होगा.

परिषद् कार्यपालिका समिति तथा उप समिति के सम्मिलनों में हाजिर होने के लिये यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा वाहन भत्ता निम्नानुसार देय होगा :-

(क) शासकीय सदस्य, उन सुसंगत नियमों के अधीन जो कि सरकार सेवक के रूप में उसे लागू हों उसको अनुज्ञेय यदि भत्ता तथा दैनिक भत्ता लेगा,

(ख) अशासकीय सदस्य को, उसके निवास के स्थान से भिन्न स्थानों पर किये गये सम्मिलनों के लिये यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता उसी दर से चुकाया जायगा जो कि राज्य सरकार के सरकारी सेवक श्रेणी "ए" को अनुज्ञेय हों ;

(ग) अशासकीय सदस्य को उसके निवास के स्थान पर किये गये सम्मिलनों के लिये वाहन भत्ता 15 रूपये प्रति दिन की दर से चुकाया जायगा.

(घ) राज्य परिषद् के सभी कार्यालयीन कर्मचारी ऐसे लिपिक और चपरासी उन्हीं दरों से यात्रा भत्ता और विराम भत्ता लेने के हकदार होंगे, जो दरें किसी शासकीय कर्मचारी के लिये ग्राहय् है.

(ड़) रजिस्ट्रार और सचिव द्वितीय श्रेणी के अधिकारी होंगे और व उतना ही यात्रा भत्ता, यदि कोई हो, लेंगे, जितना नियमें के अनुसार उन व्यक्तियों को अनुज्ञात हो. जिनमें से कार्यालय के बाहर किसी सम्मिलन में उपस्थित होने के लिये यात्रा करने की अपेक्षा की जाती है.

130. इन नियमों के प्रारंभ होने से मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी क्षेत्र में प्रवृत इन नियमों के तत्स्यानी वे समस्त नियम, जो इन नियमें के प्रारंभ होने अव्यवहित पूर्व प्रवृत हों निरसत हो जायेंगे :

परन्तु इस प्रकार निरस्त किन्हीं नियमों के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्यवाही जब तक कि वह इन नियमों के उपबन्धों से असंगत नही, इन नियमों के तत्स्यानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी.

प्ररूप एक

नियम 7 देखिये,

पुस्तक क्रमांक..... ..... पुस्तक क्रमांक.....
.....

अनुक्रमांक..... अनुक्रमांक.....
.....

मध्यप्रदेश राज्य फार्मेसी परिषद् मध्यप्रदेश राज्य फार्मेसी कार्यालय, भोपाल ...
..... परिषद् कार्यालय, भोपाल

....
.....

तारीख ..... तारीख .....
.....

श्री.....से श्री.....
.....से

.....के निमित्त .....
.....के निमित्त

.....रू. की राशी .....
.....रू. की राशी

.....प्राप्त हुई. .....
.....प्राप्त हुई.

रजिस्ट्रार.

रजिस्ट्रार.

देश राज्य औषध निर्माण शाला परिषद्

प्ररूप दो

अधिसूचना का प्ररूप

नियम 2 (1) देखिये,

चूंकि फार्मेसी एक्ट, 1948 (क्रमांक 8 सन् 1948) की धारी 19 के खण्ड (ए) के अधीन मध्यप्रदेश राज्य औषध निर्माण शाला परिषद् के लिये निर्वाचित सदस्यों की पदावधि.....
.....19 को समाप्त होने वाली हैं ;

चूंकि फार्मेसी एक्ट, 1948 (क्रमांक 8 सन् 1948) की धारी 19 के (ए) के अधीन निर्वाचित सदस्य श्री.....
..... के (कारण दीजिए) .....के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश राज्य औषध निर्माण शाला परिषद् में एक रिक्ति गई है ;

अतएव मध्यप्रदेश स्टेट फार्मेसी काउन्सिल रूल्स 1954 के नियम 4 के उपनियम (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, मैं.....
.उक्त निर्वाचन की रिटर्निंग आफिसर, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (2) के अधीन मतदाताओं से एक सदस्य या .....
.....सदस्यों (निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या दीजिए) का निर्वाचन करने की अपेक्षा करता हूं और निम्नलिखित तारीखें नियत करता हूं :-

(क) नामनिर्देशन की संवीक्षा की तारीख.....
.....

(ख) नामनिर्देशन की संवीक्षा की तारीख.....
.....

(ग) वह तारीख, जिसकी निर्वाचन, यदि हुआ.....
..... तो समाप्त होगा.

.....
.....

रिटर्निंग आफिसर.

जिसकी आवश्यता न हो, उसे काट दें.

मध्यप्रदेश राज्य औषध निर्माण शाला परिषद्

प्ररूप तीन

नाम-निर्देशन पत्र

नियम 23 (1) देखिये,

फार्मेसी एक्ट, 1948 (क्रमांक 8 सन् 1948) की धारी 19 के खण्ड (ए) के अधीन निर्वाचन.

टिप्पणी.--यह नामनिर्देशन पत्र का नहीं होगा, जब तक कि वह मध्यप्रदेश राज्य औषध निर्माण शाला परिषद् भोपाल के रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में तारीख.....19 को अपरान्ह तीन बजे तक न दिया जाय.

(1) उम्मीदवार का नाम और .....
उपनाम, ...

(2) पिता का नाम उपनाम .....

(3) पता और नियुक्ति, यदि .....
कोई हो. .....

(4) रजिस्ट्रीकृत अर्हताओं का .....
स्वरूप. .....

(5) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र .....
.

क्रमांक. .....

.

(6) निर्वाचन सूची का अनुक्रमांक .....

(7) प्रस्तावक का नाम और .....
उपनाम. .....

(8) निर्वाचन सूची में प्रस्तावक .....
का अनुक्रमांक .....

(9) रजिस्ट्रीकृत अर्हताओं का .....
स्वरूप. .....

(10) रजिस्ट्रकृत प्रमाण-पत्र .....
क्रमांक. .....

(11) प्रस्तावक के हस्ताक्षर .....

(12) अनुमोदक का नाम और .....
उपनाम. .....

(13) निर्वाचक सूची में अनुमोदक .....
का अनुक्रमांक .....

(14) रजिस्ट्रीकृत अर्हताओं का .....
स्वरूप. .....

(15) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र .....
क्रमांक. .....

(16) अनुमोदक के हस्ताक्षर .....

में नामनिर्देशन का उम्मीदवार, एतदद्वारा घोषित करता हूं कि मै वही व्यक्ति हूं, जिसका नाम, अधिनियम की धारा 19/30 के अधीन रखें गये रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत है और मै अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (ए) के अधीन निर्वाचन के लिये खड़े होने का इच्छुक हूं.

.....

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

पता.....

तारीख.....

टिप्पणी.-कृपया ध्यान रखें कि उम्मीदवार तथा उसके प्रस्तावक और अनुमोदक धारा 29/30 के अधीन रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति होने चाहियें.

परिदान का प्रमाण पत्र

यह नाम निर्देशन पत्र मुझे तारीख .....19.....
.....को .....बजे परिदत्त किया गया था.

.....

रिटर्निंग आफिसर

संवीक्षा का प्रमाण पत्र

मैने उम्मीदवार, प्रस्तावक और अनुमोदक की पात्रता की संवीक्षा की है और निम्नानुसार विनिश्चय करता हूं.

टिप्पणी.-इच्छुक उम्मीदवार स्वयं अपना नाम निर्देशन-पत्र इस प्ररूप में प्रस्तावित कर सकता है.

मध्यप्रदेश राज्य औषध निर्माण शाला परिषद्

प्ररूप चार

मत पत्र

प्रतिपर्ण

अनुक्रमांक .....

नियम 34 (1) देखिये,

निर्वाचकों को मतपत्र प्रेषित करने के पूर्व प्रतिपर्ण को भरा जाना चाहियें और प्रेषण के लिये पर्णों को भेजने के पश्चात् रजिस्ट्रार द्वारा उसे स्वयं की अभिरक्षा में प्रतिधारित किया जाना चाहिए.

फार्मेसी एक्ट, 1948 (क्रमांक 8 सन् 1948) की धारा 19 वा खण्ड (क) के अधीन निर्वाचन.

निर्वाचक की विशिष्टयां

(1) निर्वाचक का नाम और .....
उपनाम. .....

(2) पिता का नाम तथा उपनाम .....

(3) पता और नियुक्ति, यदि .....
कोई हो.

(4) रजिस्ट्रीकृत अर्हताओं का .....
स्वरूप. .....

(5) रजिस्टर में अनुक्रमांक .....

(6) निर्वाचक को भेजे गये मत .....
पत्र का अनुक्रमांक .....

यह क्रमांक, निर्वाचक को मत-पत्र भेजने के पूर्व मतपत्र में उपयुक्त स्थान पर अन्त : स्थापित किया जाना चाहिये.

मध्यप्रदेश राज्य औषध निर्माण शाला परिषद्

पर्ण

अनुक्रमांक .....

नियम 34 (1) देखिये,

फार्मेसी एक्ट, 1948 (क्रमांक 8 सन् 1948) की धारा 19 क खण्ड (ए) के अधीन निर्वाचन.

अनु. सम्यक रूप से नाम निद्रिष्ट उम्मीदवारों क्रांस के नाम :-

(1) (2) (3)

.....

रिटंर्निग आफिसर

अनुदेश

(1) भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या .....

.....

(2) प्रत्येक निर्वाचक कोड .....मत डालना

हैं/डालने है.

(3) वह उस उम्मीदवार/उम्मीदवारों के नाम/नामों के सामने जिसे/जिनको वह अधिमान देता हो ग का चिह्न लगाकर

मत देता.

(4) यदि भरे जाने वाले स्थानो से अधिक उम्मीदवारों के नाम, के सामने ग क. चिह्न लगाया गया है या इस प्रकार चिह्न

लगाया गया है कि यह बात शंकास्पद हो जाती है कि किस उम्मीदवार के लिए अभिप्रेत है, तो मतपत्र

अविधिमान्य हो जाएगा.

(5) यदि मतदाता एक मतपत्र से अधिक मतपत्र भरता है, तो उसके द्वारा अभिलिखित सभी मत अविधिमान्य हो जायेंगे.

(6) मत पत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात् निव्रचक इसे लिफाफे (क) में रखेगा तथा लिफाफे को मुहरबन्द करेगा. वह लिफाफा "क" को घोषणा के साथ दूसरे लिफाफे "ख" में रखेगा और उसे मुहरबन्द करेगा उसके बाद वह लिफाफा "ख" जिसमें छोटा लिफाफा "क" और घोषणापत्र होंगे बाहरी लिफाफे "ग" में रखेगा जो रिटंर्निग आफिसर को संबंधित होगा और वह उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या सदेंशवाहक द्वारा उसे इस प्रकार भेजेगा कि वह मतदान की समाप्ति के लिये नियम तारीख की अपराह्न 5 बजे तक उसके पास पहूंच जायें.

मध्यप्रदेश राज्य औषध निर्माण शाला परिषद्

प्ररूप पांच

खनियम 34 (1) विनिर्दिष्ट,

निर्वाचन

फार्मेसी एक्ट, 1948 (क्रमांक 8 सन् 1948) की धारा 19 के खण्ड (ए) के अधीन.

अनुक्रमांक .....

निर्वाचक का नाम .....

निर्वाचक सूची में क्रमांक .....

मै, ...(पूरा नाम) यह घोषित करता हूं फार्मेसी एक्ट, 1948 (क्रमांक 8 सन् 1948) की धारा 19 क खण्ड (ए) के अधीन निर्वाचन.

अनु. सम्यक रूप से नाम निद्रिष्ट उम्मीदवारों क्रांस के नाम :-

(1) (2) (3)

.....

रिटंर्निग आफिसर

अनुदेश

(1) भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या .....

.....

(2) प्रत्येक निर्वाचक कोड .....मत डालना

हैं/डालने है.

(3) वह उस उम्मीदवार/उम्मीदवारों के नाम/नामों के सामने जिसे/जिनको वह अधिमान देता हो ग का चिह्न लगाकर मत देता.

(4) यदि भरे जाने वाले स्थानो से अधिक उम्मीदवारों के नाम, के सामने ग क. चिह्न लगाया गया है या इस प्रकार चिह्न लगाया गया है कि यह बात शंकास्पद हो जाती है कि किस उम्मीदवार के लिए अभिप्रेत है, तो मतपत्र अविधिमान्य हो जाएगा.

(5) यदि मतदाता एक मतपत्र से अधिक मतपत्र भरता है, तो उसके द्वारा अभिलिखित सभी मत अविधिमान्य हो जायेंगे.

(6) मत पत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात् निवाचक इसे लिफाफे (क) में रखेगा तथा लिफाफे को मुहरबन्द करेगा. वह लिफाफा "क" को घोषणा के साथ दूसरे लिफाफे "ख" में रखेगा और उसे मुहरबन्द करेगा उसके बाद वह लिफाफा "ख" जिसमें छोटा लिफाफा "क" और घोषणापत्र होंगे बाहरी लिफाफे "ग" में रखेगा जो रिटंर्निंग आफिसर को संबंधित होगा और वह उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या सदेंशवाहक द्वारा उसे इस प्रकार भेजेगा कि वह मतदान की समाप्ति के लिये नियम तारीख की अपराह्न 5 बजे तक उसके पास पहूंच जायें.

मध्यप्रदेश राज्य औषध निर्माण शाला परिषद्

प्ररूप पांच

खनियम 34 (1) विनिर्दिष्ट,

निर्वाचन

फार्मेसी एक्ट, 1948 (क्रमांक 8 सन् 1948) की धारा 19 के खण्ड (ए) के अधीन.

अनुक्रमांक .....

निर्वाचक का नाम .....

निर्वाचक सूची में क्रमांक .....

मैं, ...(पूरा नाम) यह घोषित करता हूं कि फार्मेसी एक्ट (क्रमांक 8 सन् 1948) की धारा 19 के खण्ड (ए) के अधीन, निर्वाचक मण्डल द्वारा मध्यप्रदेश राज्य औषध निर्माण शाला परिषद् के सदस्य का निर्वाचन करने के लिये मै एक मतदाता हूं और यह कि मैंने इस निर्वाचन के लिये किन्हीं अन्य मत पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं किये है.

स्थान.....हस्ताक्षर.....

तारीख.....पदनाम(यदि कोई हो).....

पता.....

मध्यप्रदेश राज्य औषध निर्माण शाला परिषद्

प्ररूप छः

खनियम 34 (1) विनिर्दिष्ट,

लिफाफा "क"

मत-पत्र

.....सदस्यों का निर्वाचन

फार्मेसी एक्ट, 1948 (क्रमांक 8 सन् 1948) की धारा 19 के खण्ड (ए) के अधीन.

मध्यप्रदेश राज्य औषध निर्माण शाला परिषद्

प्ररूप सात

खनियम 34 (1) विनिर्दिष्ट,

लिफाफा "ख"

मध्यप्रदेश राज्य औषध निर्माण शाला परिषद् का निर्वाचन

लिफाफा जिसमें लिफाफा "क" और घोषणा पत्र अन्तर्विष्ट है.

मध्यप्रदेश राज्य औषध निर्माण शाला परिषद्

प्ररूप अ.

खनियम 34 (1) निर्दिष्ट,

लिफाफा "ग"

डाक व्यय

मध्यप्रदेश राज्य औषध निर्माण शाला परिषद् 197 के सदस्यों का निर्वाचन

निर्वाचक का अनुक्रमांक .....

निर्वाचक का नाम .....

निर्वाचक के हस्ताक्षर.....

प्रति,

रिटर्निंग आफिसर,

मध्यप्रदेश राज्य औषध निर्माण शाला

परिषद्, निर्वाचन.

प्ररूप नो

(नियम 104 देखिये)

रजिस्ट्रीकरण नियमों का नियम 104

औषध कारक के रूप में

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र का प्ररूप

(फार्मेसी एक्ट की धारा 32 के अधीन)

(आवेदक द्वारा स्वयं भरा जाएगा)

तारीख.....19

प्रति,

रजिस्ट्रार,

राज्य औषध निर्माण शाला परिषद्,

मध्यप्रदेश, भोपाल,

महोदय,

निवेदन है कि फार्मेसी एक्ट, 1948 के अधीन मेरा नाम रजिस्ट्रीकृत किया जाय तथा मुझे रजिस्ट्रीकरण का एक प्रमाण पत्र दिया जाय.

2. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक जानकारी नीचे विनिर्दिष्ट है.

3. रजिस्ट्रीकरण फीस, डाक व्यय तथा रेवेन्यू स्टाम्प के मधे रूपये.....(रूपये.....केवल) की रकम मनीआर्डर द्वारा (देखिए मनीआर्डर रसीद क्रमांक..... ..तारीख.....डाकघर.....), या बैंक,.....के ड्राफ्ट आर्डर क्रमांक..... .....तारीख.....द्वारा रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश औषध निर्माण शाला परिषद्, भोपाल के नाम से भेजी गई है.

4. मेरी पत्रोंपाधियां या प्रमाण पत्र, प्रत्येक की सत्यप्रति सहित मूल रूप में इसके साथ संलग्न है. कृपया कार्य पूर्ण होने पर मूल प्रतियां लोटा दी जाएं.

5. मेरा रजिस्ट्रीकरण हो जाने की स्थिति में और प्रतिफलस्वरूप मै पहले से विरचित या इसके बाद समय-समय पर औषध निर्माण शाला परिषद्, मध्यप्रदेश द्वारा विरचित किये जाने वाले रजिस्ट्रीकरण नियमों से आवद्ध रहने का वचन देता हूं.

6. मांग की जाने पर या रजिस्टर से मेरा नाम हआ दिए जाने पर अपने रजिस्ट्रीकरण को प्रमाणित या नवीकृत न करा पाने पर मै अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अभ्यर्पित करने का वचन देता हूं.

भवदीय

.....

.....

नमूना हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षर

आवेदक द्वारा दी जाने वाली विशिष्टयां और जानकारी.

(आवेदक द्वारा स्वयं भरा जाय)

1. आवेदक का पूरा नाम (सुवाच्य अक्षरों में) .....

.....

2.जन्म स्थान, तारीख, मास और वर्ष. .....

.

3.पिता का नाम (पूरा) .....

4.निवास स्थान का पूरा डाक-पता . .....

5.व्यवसाय का पूरा डाक पता .....

6.राष्ट्रीयता .....

7.अधिवास. यदि हाल हो में भार- .....

तीय अधिवास अर्जित किया गया .....

हो, तो बताइये कि कब और कहां .....

अर्जित किया गया. .....

8.यदि आप भारतीय राष्ट्रीक नहीं है, ...

तो क्या वह देश, जहां आपने अपनी .....

अर्हतायें अर्जित की है. इस देश की .....

अर्हतायें रखने वाले भारतीय मूल .....

के व्यक्तियों को उस देश में प्रवेश .....

करने और औषध निर्माण शाला .....

की वृत्ति का व्यवसाय करने की .....

अनुज्ञा देता है. यदि हां, तो उस .....

धारा या नियम का उच्चारण दीजिए .....

जिसके अधीन उस देश में इसकी .....

अनुज्ञा दी गई है. .....

9.अर्हताओं का विवरण, जिनके लिये .....

रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है

10.(क) वह तारीख, जिससे .....

मध्यप्रदेश में व्यवसाय कर रहा हो .....

(ख)क्या शासकीय या राज्य .....

से सहायता प्राप्त संस्था में नियुक्त .....

है या उससे सम्बद्ध है. यदि हां .....

तो उसका नाम, पता और नियुक्ति .....

की तारीख का उल्लेख करें .....

11.औषध निर्माण शाला का प्रशिक्षण .....

लेने के पूर्व बुनियादी प्रशिक्षण .....

अर्हतायें. .....

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप "दस"

रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र

प्रति,

रजिस्ट्रार,

मध्यप्रदेश राज्य औषध निर्माण शाला परिषद्,

भोपाल.

महोदय,

निवेदन है कि औषध कारक के रूप में मेरा रजिस्ट्रीकरण तारीख .....को समाप्त होगा तथा यह कि मै एतद् द्वारा वर्ष .....के लिये उसके नवीनीकरण हेतु आवेदन कर रहां हूं.

मैं इसके साथ मूल रूप में अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करता हूं जो कार्य होने के पश्चात् लौटा दिया जाए.

मेरे रजिस्ट्रीकरण के सम्बधित विशिष्टियां नीचे दी जा रही है.

3रू. की विहित फीस मनीआर्डर द्वारा (..... डाक-खाने की मनीआर्डर रसीद क्रमांक.....तारीख..... .....देखिये) प्रेषित की जा चुकी है.

भवदीय

.....

हस्ताक्षर

नाम .....

पिता का नाम .....

पता .....

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक .....

प्ररूप "ग्यारह"

खनियम 107 (1) देखिये,

रजिस्ट्रीकरण नियमों का नियम 107 (1)

अतिरिक्त अर्हताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन.

प्रति,

रजिस्ट्रार,

मध्यप्रदेश राज्य औषध निर्माण शाला, परिषद्,

भोपाल

महोदय,

निवेदन है कि मै,.....की अतिरिक्त अर्हता के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करता हूं जो कि मैंने..... .....से.....में प्राप्त की है. अर्हताओं की पत्रोंपाधि या प्रमाण पत्र तथा उसकी प्रतियां इसके साथ संलग्न हैं. इन्हें कार्य होते ही यथाशीघ्र लौटा दिया जाये.

मै फार्मेसी एक्ट, 1948 के अधीन पहले से ही रजिस्ट्रीकरण हूं तथा मेरा रजिस्ट्रीकरण क्रमांक.....हैं.

2रूपये को विहित फीस इसके साथ भेजी जा रही हैं.

नाम.....

भवदीय

पिता का नाम.....

पता.....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

प्ररूप "बारह"

खजिस्ट्रीकरण नियमों 107 (2) ,

अतिरिक्त अर्हताओं का रजिस्ट्रकरण

(फार्मेसी एक्ट, 1948 की धारा 35 के अधीन)

नीचे दर्शायी गई अतिरिक्त पत्रोंपाधियों/प्रमाण पत्रों को, मध्यप्रदेश के औषध कारकों के रजिस्टर में श्री/श्रीमती ....के नाम के सामने अन्त : स्थापित कर दिया गया है.

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक.....

वे पत्रोपाधियां/प्रमाण पत्र जो पहले से रजिस्ट्रीकृत हैं.	वे पत्रोपाधियां/प्रमाण पत्र जो हले से रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं.
.....	.....
.....	.....
.....	.....

रजिस्ट्रार

प्ररूप "तेरह"

(नियम 109)

मध्यप्रदेश राज्य औषध निर्माण शाला परिषद् के रजिस्टर में की गई प्रतिष्टियों की प्रमाणित प्रतिलिपि.

क्र.....भोपाल तारीख.....

प्रमाणित किया जाता है कि यह औषधि निर्माण शाला रजिस्टर में नीचे विनिर्दिष्टि नाम की प्रविष्टि के साथ-प्रतिलिपि है :-

नाम	पता	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)

.....

.....

रजिस्ट्रार

टिप्पणी :- यह प्रमाणित प्रतिलिपि केवल तब तक रजिस्ट्रीकरण का साक्ष्य है जब तक कि .....19 . के लिये मुद्रित औषध कारकों के रजिस्टर का प्रकाशन नहीं हो जाता. यह धारक की इसमें नामांकित व्यक्ति के साथ अनन्यता का कोई साक्ष्य नहीं है.

प्ररूप "चौदह"

ख्मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण नियमों का नियम 124,

मध्यप्रदेश औषध कारकों का रजिस्ट्रीकरण

प्रमाण-पत्र

मुहर.....

क्रमांक.....भोपाल, तारीख.....

.....

वह प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....

.....आत्मज.....पता.....

.....को औषध कारक के रूप में धारा (. .) के खण्ड (. .) के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है. तथा वह मध्यप्रदेश राज्य में औषध निर्माण शाला व्यवसाय का विनियमन करने वाले अधिनयम सन् 1948 के अधिनियम, क्रमांक 8 के प्राधिकार के अधीन समस्त विशेषाधिकारों का हकदार है.

जिसके साक्ष्य स्वरूप इसमें इसके साथ मध्यप्रदेश राज्य औषध निर्माण शाला परिषद् की मुहर लगाई गई है और उक्त औषध निर्माण शाला परिषद् रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर हैं.

.....

.....

रजिस्ट्रार

टिप्पणी :-यह प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश राज्य औषध निर्माण शाला परिषद् भोपाल की संपति है. और मध्यप्रदेश राज्य औषध निर्माण शाला परिषद् नियमों के नियम 124 के अनुसार उपर नामित औषध कारक को प्रदान किया गया है.

<u>सूचना</u>

1. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत औषधिकारक को अपने रजिस्ट्रीकृत पते में हुऐ किसी भी परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को देनी चाहिये तथा रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में की गई समस्त पूछताछ का उत्तर भी देना चाहिये. ताकि उसके सही पते की औषधकारकों के रजिस्टर में सम्यक् रूप से अन्त : स्थापित किया जा सके.
2. ऐसे समस्त व्यक्ति, जो रजिस्ट्रीकृत है, औषध निर्माण शाला व्यवसाय करने के लिये वैध रूप से अहं है
3. प्रत्येक रजिस्ट्रकृत औषध कारक को प्रतिवर्ष फार्मेसी एक्ट, 1948 की धारा 34 के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक वर्ष मई की पहली तारीख के पूर्व अपने रजिस्ट्रीकरण का वार्षिक नवीनीकरण करा लेना चाहिऐ.

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र .....

.....तारीख के लिये

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

प्ररूप "पन्द्रह"

खजिस्ट्रीकरण नियमों का नियम 126,

(देखिये नियम 125)

औषधकारकों के रजिस्टर का प्ररूप

1.अनुक्रमांक .....

2.पूरा नाम .....

3.पिता का नाम .....

4.निवास स्थान का पता .....

5.रजिस्टर में प्रथम प्रवेश .....

की तारीख. .....

6.रजिस्ट्रीकरण के लिये .....

अर्हताऐ. .....

7.नियोजक का नाम .....

8.यावसायिक पत .....

9.जन्म तारीख .....

10.राष्ट्रीयता .....

11.रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण .....

की तारीख. .....

12.टिप्पणियां (तारीख सहित .....

नामों के हटाये जाने

या उन्हें पुन: दर्ज करने

का उल्लेख करें)

परिशिष्ट "छ"

(देखिये नियम 99)

मध्यप्रदेश औषध निर्माण शाला परिषद् के कर्मचारियों के लिए अभिदायी भविष्य निधि नियम

1. इन नियमों में :-

(1) "वेतन" वेतन के अन्तर्गत आते है वेतन के रूप में समस्त नियत भत्ते या व्यक्तिगत भत्ते, किन्तु के अन्तर्गत शेष व्यय को पूरा करने के लिए प्रदत्त भत्ते जैसे यात्रा-भत्ता या वाहन भत्ता या गृह भाड़ा भले ही उसका भुगतान, दैनिक मासिक या वार्षिक आधार पर किया जाता हो, नही आते.

(2) "कर्मचारी" के अन्तर्गत आता है, ऐसा प्रत्येक कर्मचारी जो मध्य प्रदेश राज्य औषध निर्माण शाला परिषद् के कार्यालय में मूल नियमित पर हो.

स्पष्टीकरण- ऐसा कर्मचारी जो मूल नियुक्ति पर परिवीक्षा पर हो, उन नियमों के प्रयोजन के लिए तब तक कर्मचारी नहीं माना जाएगा जब तक कि वह स्थायी न कर दिया जाय,

(3) "निक्षेपकर्ता" से तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है, जिसकी और से इन नियमों के अधीन कोई निक्षेप किया जाता हो

(4) "ब्याज" से तात्पर्य ऐसे ब्याज से है, जो ऐसी संस्थाओं में प्रभावी नियमों के अधीन शासकीय बचत बैंक में जमा रकमों पर दिया जाता हो.

(5) "परिषद्" से तात्पर्य फार्मेसी एक्ट, 1948 (क्रमांक 8 सन् 1948) के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश औषध निर्माण शाला परिषद् से है.

2. परिषद् के कार्यालय में किसी पद पर नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी को, जिसका वेतन.....रूपये प्रतिमाह से कम न हो. जब तक परिषद के अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से छूट न दी गई हो, भविष्यनिधि में उसके वेतन के सवा छ: प्रतिशत या रूपये में एक आना की दर से अभिदाय करना अपेक्षित होगा, जिसका खाता परिषद् के अध्यक्ष के पदीय नाम पर डाकघर बचत बैंक में खोला जाएगा. ऐसे कर्मचारी को भी जो पहले इस प्रकार नियुक्त या पदोन्नत किया गया हो, निधि में अभिदाय करना आवश्यक होगा. परिषद द्वारा प्रस्तुत वेतन देयक से कटौती की जाए और राशि तत्काल निधि में जमा कर दी जायगी. इन कटौतियों की गणना करते समय वेतन के रूपये के प्रमाण को छोड़ दिया जाना चाहिए.

3 परिषद प्रत्येक निक्षेपकर्ता के निक्षेप खाते में, पूर्ववर्ती नियम के अधीन, उसके वेतन से की गई कटौती की राशि के बराबर राशि का अंशदान करेगी. ऐसा अंशदान प्रतिमाह वेतन से की गई कटौती के साथ ऐसे कर्मचारी के पक्ष में निधि में जमा कर दिया जाएगा.

4. एक भविष्य निधि खाता (इन नियमों से संलग्न प्ररूप एक) परिषद के कार्यालय में रखा जायगा. नियम 2 के अधीन प्रत्येक निक्षेपकर्ता के वेतन से प्रतिमाह काटी गई रकम ओर नियम 3 में विनिर्दिष्ट मासिक अंशदान तत्काल भविष्य निधि खाते में दर्ज किऐ जायेगे और इस प्रकार

दर्ज रकम. नियम में निर्दिष्ट संयुक्त लेखे में निक्षेपकर्ता के नाम पर डाकघर बचत तैंक में सम्यक् रूप से भुगतान की जाएगी. डाकघर बचत बैंक में भुगतान यथासंभव प्रति माह 1 और 4 तारीख के बीच किया जाना चाहिए ताकि उस पर ब्याज प्रोदभूत हो.

5. उस अवधि के दौरान, जब कोई कर्मचारी भविष्य निधि कोई अभिदान या अंशदान नहीं लिया जायेगा.

6 वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद तथा डाकघर द्वारा बचत बैंक संयुक्त खाता पास बुक में व्याज जोड़ दिए जाने के बाद यथासंभव शीघ्र प्रत्येक निक्षेपकर्ता के लेखे की एक प्रति इन नियमों से संलग्न प्ररूप दो में उसे दी जाएगी.

7. कोई भी कर्मचारी, परिषद द्वारा उसकी ओर से अभिदाय की गई कसी भी राशि के किसी भाग या अंश को प्राप्त करने का तब तक पाव नही होगा जब तक कि यह कम से कम बारह मास तक परिषद की सेवा में न रहा हो और जिसके त्यागपत्र देने की स्थिति में अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र देने के लिये परिषद के अध्यक्ष द्वारा अनुज्ञात न कर दिया गया हो.

8. परिषद का कोई भी कर्मचारी, जो परिषद के अध्यक्ष की राय में बेईमानी या किसी अन्य घर अवचार का दोषी हो. तो परिषद द्वारा अनुमोदन किये जाने की स्थिति को छोड़कर परिषद द्वारा उसके क्षाते में अभिदाय की गई किसी भी राशि के किसी भाग या अंश या उसके किसी भी संचित ब्याज या तत्संबंधीन लाभों को प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा. परिषद तत्समय कर्मचारी के नाम पर जमा राशि में से परिषद को कर्मचारी की बेईमानी या उपेक्षा के कारण किसी भी समय हुयी किसी हानि या क्षति की राशि के बराबर राशि प्रथम प्रभार के रूप में वसूल करने की हकदार होगी.

9 (क)यदि कोई कर्मचारी पदच्युत कर दिया गया हो, तो परिषद उसके द्वारा उसके खाते में किया गया समस्त अंशदान या उसका कोई भाग और उस पर प्रोद्भूत ब्याज

रोक

सकेगी और कर्मचारी की ऐसे अंशदान तथा उस पर ब्याज के बिना उसके खाते के अतिशेष का भुगतान कर सकेगी.

(ख) नियम 8 से 10 में यथा उप बंधित को छोड़कर उपर निर्दिष्ट अतिशेष, पदच्युति या किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि पर समय हरण के दायित्वधीन नही हो.

10. यदि किसी कम्रचारी के पद तयाग, स्थानान्तरण, पदच्युति या उसकी मृत्यु के समय उसके नाम पर परिषद की कुछ बकाया रकम परिषद उसके निक्षेपों में ऐसी बकाया रकम काटकर अतिशेष यदि कोई हो, का भुगतान कर देगी.

11. नियम 7, 8, 9 या 10 के अधीन सेवक का रोका गया कोई भी अंशदान और उस पर ब्याज, परिषद का हो जाएगा और बचत बैंक में बचत खाते से प्रत्याहृत किया जायगा और परिषद की निधियों में जमा कर दिया जाएगा.

12. सेवा निवृत्ति के पूर्व या सेवा सेवा निवृति के पश्चात् किन्तु रकम के सौपे जाने के पूर्व निक्षेपकत्र को मृत्यु हो जाने की स्थिति में, उसके खाने में जमा राशि. नियम 7, 8, 9 सर 10 के अध्यधीन ऐसे व्यक्तियों से वितरित कर दी जाएगी जो कर्मचारी की घोषणा (इन नियमों से संलग्न प्ररूप तीन) में नामित हो. जो कि उस समय की जानी चाहिये जब कर्मचारी की निधि लेखे में पहली बार निक्षेप किया जाए. निक्षेपकर्ता समय-समय पर परिषदृ के रजिस्ट्रार को लिखित आवेदन पत्र देर अपने नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों में परिवर्तन कर सकेगा.

13. निक्षेपकर्ता के द्वारा परिषद की सेवा छोड़ने पर उसका खाता बंद कर दिया जायगा और यदि उसके नाम पर जमा रकम छः मास के भीतर प्रत्याहत न की जाए तो खाता निष्क्रिय लेखे के रूप में बट्टे खाते डाल दिया जाएगा और रकम का भुगतान केवल परिषद् के अध्यक्ष के आदेशों के अधीन ही किया जाएगा.

14. जब कोई लेखा निर्ष्क्रय हो जाता है तो उसे भविष्य निधि खाता में बंद कर दिया जाएगा. धन बचत बैंक सयुक्त खाते से निकाल लिया जाएगा और लेकर बही में विविध प्राप्ति के रूप में पुनः जमा किया जाएगा. यदि तत्पश्चात रकम का दावा किया जाए. तो रोकड़ बही और भविष्य निधि खाता की प्रविष्टियां की खोज की जाएगी और परिषद के अध्यक्ष के आदेश प्राप्त किए जाएंगे. जब भुगतान किया जाए तो दोहरे भुगतान से बचने के लिये प्रत्येक लेखा पुस्तक की प्रविष्टि के सामने भुगतान के तथ्य लिखे जाएंगे और आदेश का संदर्भ दिया जाएगा.

15. परिषद के अध्यक्ष के पदीय नाम (पदनाम) से एक संयुक्त डाकघर पर बचत बैंक खाता खोला जाएगा. सुरक्षित अभिरक्षा के लिए बचत बैंक निक्षेप पुस्तक को कार्यालय की तिजोरी में रखा जायेगा मांग की जाने पर परिषद के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से संयुक्त खाते से आहरण किये जायेगे.

16. इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हूए भी जब निक्षेपकर्ता की आर्थिक परिस्थितियां ऐसी हों कि रियायत देना अत्यन्त आवश्यकता का मामला बन जए, तो परिषद के अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त बचत बैंक खाते से तीन मास के वेतन से अनधिक स्थायी अग्रिम अनुज्ञात किया जा सकेगा, परन्तु दिया गया अग्रिम, संबंधित निक्षेपकर्ता के खाते में वस्तुत : जमा रकम से अधिक नहीं होगी ;अन्तिम के लिए निम्नलिखित विधिसम्मत अवसर माने जा सकेगें

(क) अभिदान व उसके परिवार के किसी सदस्य को बीमारी के सम्बंध में उपगत किये गये व्ययों का भुगतान करने के लिए ;

(ख) विवाह अन्तवेष्टि या ऐसे विवाह के संबंध में जिन्हें अभिदाता के धर्म के अनुसार किया जाना अत्यावश्यक है और जिनके संबंध में यह बाध्यकर हो तो ऐसे उपगत किये जाने चााहिए. व्ययों का भुगतान करने के लिए , तब अभिदाता ने एक अग्रिम ले लिया हो या उसे दूसरा अग्रिम तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि पहले दिया गया अग्रिम पूर्णत : चूकता न हो जाए.

17. अग्रिम कम से कम 12 किस्तों में या अधिक से अधिक 24 किस्तों में वसूल किया जाएगा. तथापि अभिदाता स्वेच्छा से 12 से कम किस्तो में प्रतिसंदाय कर सकेगा या एक साथ दो या अधिक किस्तें का प्रतिसंदाय कर सकेगा. वसूलियां अग्रिम दिए जाने के बाद पूरे महीने के वेतन के प्रथम भुगतान से प्रतिमाह की जाएगी किनतु अभिदाता से उस स्थिति में कोई वसूली नहीं की जाएगी जब कि वह अवेतनिक अवकाश पर हो. किस्तें वेतन से अनिवार्य कटौतिया कर वसूल की प्रत्येक किस्त अग्रिम रूप में दी गई कुल राशि के 1/24 भाग से कम नहीं होगी और वसूली के बाद समस्त किस्तें तत्काल संयुक्त बचत बैंक खाते में जमा कर दी जाएंगी.

18. भविष्य निधि के लाभ के हकदार प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक ऐसी लिखित घोषणा पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा कि उसे इन विनियमों को पड़ लिया है और पालन करने के लिए सहमत है.

19. यदि कोई कर्मचारी अंशकालीन आधार पर नियुक्त किया गया हो तो ये नियम उस पर लागू नहीं ह्रोगे.

प्ररूप एक

भविष्य निधि खाता

ख्परिशिष्ट का नियम 4 देखिए,

बचत बैंक द्वारा	अभिदाता	नाम पदनाम	प्रारम्भिक प्रतिशेष	तारीख

(1) (2) (3) (4) (5)

रू. पै.

रू. पै.

राज्य औषध निर्माण शाला परिषद् द्वारा ब्याज

अद्यतन योग

बचत बैंक में निक्षेप

बचत बैंक द्वारा दिया गया

ता री ख रकम अद्य तन योग

ता री ख रकम अद्य तन योग

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

रू. पै. रू. पै. रू. पै. रू. पै. रू. पै. रू. पै.

बचत बैंक	निक्षेपकर्ता	आहरण	माह के अंत	अभियुक्ति

में ब्याज को अग्रिम के बाद में प्रत्येक
सहित कुल बचत अभिदाता
निक्षेप ता र बैंक में के नाम
पर
कालम (11) री क अतिशेष अतिशेष
और (14) ख म

तारीख रकम
(15) (16) (17) (18) (19) (20)
(21)

रू. पै. रू. पै. रू. पै.
रू. पै.

मत ब्याज के नामे
शेष

(5) (6) (7)
(8) (9)

रू. पै. रू. पै. रू. पै. रू.
पै.

....को अग्रेषित
क्रमांक...................................
तारीख.................................. ....

रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश औषध निर्माण
शाला परिषद्.

प्ररूप दो
(परिशिष्ट का नियम 6 देखिए)
निक्षेप कर्ता का नाम...
....को समाप्त होने वाले वर्ष का भविष्य निधि
बचत बैंक खाता.

बचत बैंक खाता पिछले वर्ष के वर्ष के दौरान वर्ष के दौरान
क्रमांक अंत में जमा निक्षेपकर्ता औषध निर्माण
रकम द्वारा कुल शाला परिषद्
अंशदान द्वारा कुल अंश-
दान
(1) (2) (3) (4)

रू. पै. रू. पै. रू. पै.

वर्ष के दौरान कालम 2, वर्ष के दौरान वर्ष के टिप्पणियां
बचत बैंक 3, 4 तथा आहरण अंत में
द्वारा अनु 5 का योग निक्षेपकर्ता

प्ररूप तीन
(परिशिष्ट का नियम 12 देखिए)
घोषणा का प्रारूप

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में निम्नलिखित व्यक्ति राज्य औषध-निर्माण शाला परिषद् के भविष्य निधि लेखे में मेरे नाम से जमा रकम का उनके नाम के सामने दिए गये अनुपात में भुगतान प्राप्त करने के हकदार होंगे और ऐसे निक्षेप के संबंध में यह मेरी बिल होगी. मैं यह भी निवेदन करता हूं कि उपर दिए अनुसार अवयस्कों को देय रकम निम्नलिखित व्यक्तियों को दी जाए :-

नामांकित व्यक्ति का नाम तथा पता	नामांकित व्यक्ति श्री है या पुरूष	अभिदाता से संबंध	वयस्क है या अवयस्क, यदि अवयस्क हो तो आयु का उल्लेख करें
(1)	(2)	(3)	(4)

निक्षेप का देय अंश निर्दिष्ट	उस व्यक्ति का नाम तथा पता जिसे अवयस्क की और से अंश दिया जाना है	पिछले कालम में व्यक्ति स्त्री है या पुरूष तथा उसके माता पिता का नाम
(5)		(6) (7)

प्रथम साक्षी.....

द्वितीय साक्षी.....

.....

निक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख.....19 .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
एम.एस.परमार, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 1978

क्र. 3313-5918-सत्रह-मेडि.-4-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 3311-5918-सत्रह-मेडि-4 दिनांक21 सितम्बर 1978 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
एम.एस.परमार, उपसचिव